

# 4.1.2

Audited income and expenditure statement of the institution to be signed by CA and counter signed by the competent authority (relevant expenditure claimed for infrastructure augmentation should be clearly highlighted)

Verified  
Verified  
Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

Dean  
CoA, Sehra

Dean  
CoA, Mansaur

Dean  
CoA, Gwalior

Dean  
CoA, Indore

Dean  
CoA, Khairat



Establishment of CIC under PMFME

8578 - 6

S No.	Year	Common Incubation Centre of PMFME Section Amount	Centre Allot. Amount	Receipt /Allot. Amount
1	2021-22	29845000	Sehore	9998820
2	2021-22	33540000	Morena	10000000
3	2021-22	35400000	Gwalior	10000313
Total		98785000		29999133

**VERIFIED**

**Verified**

Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

Dy. Director  
Local Fund Audit Gwalior  
Camp-RAD RVSKVV Gwl.

RSK

Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

Dean  
CoA, Sehore

Dean  
CoA, Mansaur

Dean  
CoA, Gwalior

Dean  
CoA, Indore

Dean  
CoA, Khairwa



मध्यप्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय

05/02/2021

#DocumentNumber#

प्रति..

संचालक  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय: वर्ष 2020-21 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान हेतु राज्य शासन द्वारा स्वीकृत वजट के अंतर्गत प्रावधानित राशि में से चतुर्थ तिमाही किस्त हेतु (30%) हेतु स्वीकृति प्रदान करने बाबत।

राज्य शासन वर्ष 2020-21 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत वजट में प्रावधानित राशि रुपये 227.33 लाख में से आवंटित राशि रुपये 181.864 लाख में से चतुर्थ तिमाही किस्त हेतु (30%) राशि सहायक अनुदान की राशि रुपये 54.5592 लाख (राशि रु. चौवन लाख पचपन हजार नौ सौ बीस मात्र) का सहायक अनुदान पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान हेतु निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करता है:-

1. वजट बनाने समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्वविद्यालय, को अन्य त्रोटों से हाने वाली आय का समावेश वजट में करें।
2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये बतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।
3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन की स्वीकृति के बिना कोई अतिरिक्त पदनिर्मित नहीं किये जावेंगे।
4. यह भी अंकित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/वी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
6. ग.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करावें।
8. इन अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एग्रियर्स में किया जावेगा।
9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व बांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावे।
10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।

उपर्युक्त व्यय मांग संख्या-54-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा- 2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा -01- फसल कृषि कार्य -120- अन्य संस्थाओं को सहायता -0103 अनुसूचित जाति उपयोजना - (5664) राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर की स्थापना v-42- सहायक अनुदान -001-सहायक अनुदान (अधोमंजना/पूंजीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु) अंतर्गत विकल्पनीय होगा।

SCP (2n)

(प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त)

Comptroller  
9/2/21

Digitally signed by Jitendra Singh  
Date: Fri Feb 05 14:30:03 IST 2021  
Reason: Approved

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार  
Digitally signed by JITENDRA SINGH  
PARIHAR  
Date: Fri Feb 05 14:30:03 IST 2021  
Reason: Approved

(जितेन्द्र सिंह परिहार)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

Verified  
Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

Dean  
CoA, Sehore

Dean  
CoA, Mandasaur

Dean  
CoA, Gwalior

Dean  
CoA, Indore

Dean  
CoA, Khandwa



मध्यप्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय

25/03/2021

क्रमांक: 80/2021/FWAD

प्रति,

संचालक  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय:- वर्ष 2020-21 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकृत राशि में से 20 प्रतिशत रोकी गई राशि स्वीकृत करने बाबत।

राज्य शासन वर्ष 2020-21 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रुपये 227.33 लाख में से आवंटित राशि रुपये 227.33 लाख में से चतुर्थ तिमाही किस्त की 20 प्रतिशत रोकी गई राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रुपये 45.466 लाख (पैंतालीस लाख छियालीस हजार छः सौ मात्र) सहायक अनुदान पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान हेतु निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करता है:-

1. बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्वविद्यालय, को अन्य शर्तों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुकूल के बिना नहीं किया जावेगा।
3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
4. यह भी अंकित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के जाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावे।
8. इस अनुदान राशि का संयोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियस में किया जावेगा।
9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावे।
10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।

उपर्युक्त व्यय मांग संख्या- 54-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा-2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-01- फसल कृषि कार्य-120- अन्य संस्थाओं को सहायता -0103 अनुसूचित जाति उपयोजना - (5664) राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर की स्थापना V-42-सहायक अनुदान-001- सहायक अनुदान (अधोसंरचना/पूँजीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु) अंतर्गत विकलनीय होगा।  
(प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त)

Verified

Comptroller

R.V.S.K.V.V., Gwalior

Digitally signed by JITENDRA SINGH  
PARIHAR  
Date: Thu Mar 25 15:26:35 IST 2021  
Reason: Approved

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

Dean  
CoA, Sehore

Dean  
CoA, Mandasaur

Dean  
CoA, Gwalior

Dean  
CoA, Indore

Dean  
CoA, Khandwa



2019-20 (1)

मध्यप्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक बी-4/08/2017/14-2 / 1479  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 6/5/2019

संचालक  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय : वर्ष 2019-20 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान के अन्तर्गत प्रथम किस्त की राशि की स्वीकृति प्रदान करने बाबत।

राज्य शासन वर्ष 2019-20 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत विभागीय लेखा अनुदान बजट में प्रावधानित राशि रूपये 100.00 लाख, में से माह अप्रैल - मई 2019 हेतु राशि रूपये 50.00 लाख (रूपये पचास लाख) मात्र का सहायक अनुदान अद्योसंरचना/पूजीगत परिसम्पत्तियाँ निर्मित किये जाने हेतु अनुदान निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करता है :-

- 1 बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्वविद्यालय को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
- 2 दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।
- 3 दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन की स्वीकृति के बिना कोई अतिरिक्त पदनिर्मित नहीं किये जावेंगे।
- 4 यह भी अंकित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
- 5 भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
- 6 ज.ने.कृ.वि.वि जबलपुर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
- 7 पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करावें।
- 8 इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
- 9 आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
- 10 स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन, हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।

6/5/19

Dean  
CoA, Sehore

Verified  
Comptroller  
R.V.K.V.V., Gwalior  
Dean  
CoA, Mandsaur

Dean  
CoA, Gwalior

Dean  
CoA, Indore

Dean  
CoA, Khandwa



मध्यप्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक बी-4/08/2017/14-2/4000  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 4/3/19

संचालक  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
विषय :- वर्ष 2019-20 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान हेतु राज्य शासन द्वारा स्वीकृत बजट के अर्न्तगत प्रावधानित राशि में से द्वितीय किस्त हेतु शेष स्वीकृति प्रदान करने बाबत।

राज्य शासन वर्ष 2019-20 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रूपये 227.33 लाख में से आवंटित राशि रूपये 181.864 लाख में से प्रथम छिमाही हेतु 45% राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रूपये 1,83,880 लाख (राशि रु. एक लाख तिरासी हजार आठ सौ अस्सी मात्र) का सहायक अनुदान पूंजीगत परिसम्पत्तियों के भुगतान हेतु निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करता है:-

- 1 बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्वविद्यालय को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
- 2 दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।
- 3 दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन की स्वीकृति के बिना कोई अतिरिक्त पदनिर्मित नहीं किये जावेंगे।
- 4 यह भी अंकित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
- 5 भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
- 6 रा.वि.सि.कृ.वि.वि. ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
- 7 पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करावें।
- 8 इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
- 9 आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
- 10 स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।

M  
4/3/19

Dean

Dean

Dean

Dean

Verified  
Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior  
Dean





कार्यालय लेखा नियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय  
राजा पंचमसिंह मार्ग, आकाशवाणी के पास, ग्वालियर - 474002 (म.प्र.)

फोन नं. 0751-2970515 (0) 0751-2970516 (फैक्स)  
E-mail- [comptroller.rvskvv12@gmail.com](mailto:comptroller.rvskvv12@gmail.com)

क्रमांक/ले.नि./2021-22/3148

ग्वालियर : 29/11/2021

**//आदेश//**

कार्यपालन यंत्री रा.वि.सिं.कृ.वि.वि. ग्वालियर को निदेशक अनुसंधान सेवायें रा.वि.सिं.कृ. वि.वि. ग्वालियर द्वारा की गई अनुशंसा के क्रम में विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाईयों हेतु PFMME परियोजना के अंतर्गत "Stablishment of Common Incubation Centre" कार्य के लिये वर्ष 2021-22 में राशि रु. 2,99,99,133/- (दो करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार एक सौ तेतीस) मात्र का निम्नलिखित शर्तों के अधीन बजट आवंटन किया जाता है।

क्र.	इकाई का नाम	आवंटित राशि	इकाई का खाता क्र.	परियोजना का नाम
1.	CoA सीहोर	99,98,820/-	40271603692	Establishment of Common Incubation Centre
2.	CoA ग्वालियर	1,00,00,313/-	21160110029930	
3.	KVK मुरैना	1,00,00,000/-	430110072394	

- 1.) सामग्री क्रय करते समय नियमानुसार विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जावे, विश्वविद्यालय/म.प्र. शासन वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार पत्र क्रमांक/एफ-6-14/2012/अ-ग्यारह दिनांक 28.07.2015 तथा म.प्र. भण्डार क्रय नियमों के प्रावधानों व समय समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- 2.) विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक/ले.नि./2018-19/177 दिनांक 12.04.2018 से भंडार सामग्री क्रय किये जाने के संबंध में जारी किये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे। तथा राशि व्यय करते समय नियमानुसार वित्तीय नियमों के परिपेक्ष्य में वित्तीय अनुशासन एवं वित्तीय औचित्य के मानक सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- 3.) राशि व्यय करते समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्/भारत सरकार कृषि मंत्रालय/परियोजना संचालनालय द्वारा परियोजना से संबंधित जारी किये गये दिशा-निर्देशों तथा निर्धारित की गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जावे।
- 4.) GEM पोर्टल से क्रय में मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम 2015 के प्रावधानों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- 5.) राशि व्यय करते समय योजना से संबंधित जारी किये गये दिशा निर्देशों तथा निर्धारित की गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जावे।
- 6.) वर्क्स से संबंधित कार्य विश्वविद्यालय के कार्यपालन यंत्री/उपयंत्री के माध्यम/सहयोग से नियमानुसार सम्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 7.) उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र अतिशीघ्र इस कार्यालय को भेजें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की गई है। उसका उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया गया है।
- 8.) लेखा शाखा से परीक्षण उपरांत ही देयकों के भुगतान की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त व्यय बजट शीर्ष PFMME परियोजना के अंतर्गत "Stablishment of Common Incubation Centre" कार्यपालन यंत्री रा.वि.सिं.कृ.वि.वि. ग्वालियर वर्ष 2021-22 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

Verified

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार

(लेखा नियंत्रक)

ग्वालियर : 29/11/2021

क्रमांक/ले.नि./2021-22/3149

प्रतिलिपि:-

- 1.) निदेशक अनुसंधान सेवायें, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
- 2.) कार्यपालन यंत्री रा.वि.सिं.कृ.वि.वि. ग्वालियर।
- 3.) अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय सीहोर/ग्वालियर।
- 4.) वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केन्द्र मुरैना।
- 5.) शाखा अधिकारी, वित्त/रिलीज़, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
- 6.) माननीय कुलपतिजी के निजसचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।

Dean  
CoA, Sehore

Dean  
CoH, Mandsaur

Dean  
CoA, Gwalior

Dean  
CoA, Indore

Dean  
CoA, Khandwa



म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26, अरेस हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल  
क्रमांक/कृषि/अनु./3/1/14/60/921 भोपाल, दिनांक- 15/12/2023  
प्रति,

4882  
21/12/23

संचालक अनुसंधान सेवाएं  
राजमाता विजयाराजे कृषि विश्वविद्यालय,  
ग्वालियर ।

विषय:- राजमाता विजयाराजे कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के अन्तर्गत संचालित उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर की परियोजना "सब्जी फसलों के हाइब्रिड बीज उत्पादन के लिए उन्नत केन्द्र " के लिए प्रथम किश्त विमुक्त करने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र पत्र क्रमांक-2140 दिनांक 08.12.2023  
0000

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र के द्वारा परियोजना " सब्जी फसलों के हाइब्रिड बीज उत्पादन के लिए उन्नत केन्द्र " के लिए राशि विमोचित करने का अनुरोध किया गया है।

कार्यालयीन स्वीकृति आदेश क्रमांक/कृषि अनु./3/1/14/60/761-762 दिनांक 06.09.2023 द्वारा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के अन्तर्गत संचालित उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर की परियोजना "सब्जी फसलों के हाइब्रिड बीज उत्पादन के लिए उन्नत केन्द्र " के लिए राशि रूपये 416.00 लाख स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत राशि रु. 416.00 लाख की 90 प्रतिशत राशि रु.374.94 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में राशि रूपये 112.00 लाख (रु. एक करोड़ बारह लाख मात्र) भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि. गंडी बोर्ड शाखा भोपाल द्वारा आर०टी०सी०एस० के माध्यम से युको बैंक शाखा किरावण्डा परिसर, ग्वालियर रोड ग्वालियर के खाता क्रमांक- 21180110035115 दिनांक-13.12.2023 को जमा करा दी गयी है।

अतः परियोजना की प्रगति के संबंध में कार्यों पर ध्यान की गयी राशि की भौतिक/वित्तीय स्थिति की जानकारी, तिमाही प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में, उपयोगिता प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण पत्र एवं कराये गये कार्यों की फोटोग्राफ के साथ भुगतान किए गए राशि की पावती भी भिजवाने का कष्ट करें।

Forwarded for releasing the funds to Dean CoA, Mandasaur

Verified

Comptroller, राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
R.V.S.K.V.V., Gwalior भोपाल.

Dean  
CoA, Sehore

Dean  
CoA, Mandasaur

Dean  
CoA, Gwalior

Dean  
CoA, Indore

Dean  
CoA, Khandwa



म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल  
क्रमांक / कृषि / अनु. / 3 / 1 / 14 / 60 / 888 भोपाल, दिनांक- 07 / 11 / 2023  
प्रति,

संचालक अनुसंधान सेवाएं  
राजमाता विजयाराजे कृषि विश्वविद्यालय,  
ग्वालियर ।

विषय:-

राजमाता विजयाराजे कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर की परियोजना  
" एरोपोनिक्स(टीसीपी एसपीए) के माध्यम से टिशू कल्चर आधारित  
आलू बीज उत्पादन " के लिए प्रथम किश्त विमुक्त करने बाबत।

संदर्भ:-

आपका पत्र पत्र क्रमांक-1756 दिनांक 16.10.2023

0000

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र के द्वारा परियोजना " एरोपोनिक्स(टीसीपी एसपीए) के माध्यम से टिशू कल्चर आधारित आलू बीज उत्पादन " के लिए राशि विनोदित करने का अनुरोध किया गया है।

कार्यालयीन स्वीकृति आदेश क्रमांक/कृषि अनु. /3/1/14/60/761-762 दिनांक 06.09.2023 द्वारा राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर की परियोजना " एरोपोनिक्स(टीसीपी एसपीए) के माध्यम से टिशू कल्चर आधारित आलू बीज उत्पादन " के लिए राशि रुपये 729.22 लाख स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत राशि रु. 729.22 लाख की 90 प्रतिशत राशि रु.656.29 लाख में से प्रथम किश्त के रूप में राशि रुपये 196.88 लाख (रु. एक करोड़ छियानवें लाख अठ्ठासी हजार मात्र) भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि. मंडी बोर्ड शाखा भोपाल द्वारा आर0टी0जी0एन0 के माध्यम से यूको बैंक शाखा विश्वविद्यालय परिसर मुरेना रोड ग्वालियर से खाता क्रमांक- 21160110035092 दिनांक-01.11.2023 को जमा करा दी गयी है।

अतः परियोजना की प्रगति के संबंध में कार्यों पर व्यय की गयी राशि की भौतिक/वित्तीय स्थिति की जानकारी तिमाही प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में, उपयोगिता प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण पत्र एवं कराये गये कार्यों की फोटोग्राफ के साथ भुगतान किए गए राशि की पावती भी भिजवाने का कष्ट करें।

Verified

Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

उप संचालक (अधो.)

म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल.

Dean

Dean

Dean

Dean

Dean

CoA, Sehore

CoH, Mandasaur

CoA, Gwalior

CoA, Indore

CoA, Khandwa



म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
 28, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल  
 क्रमांक/कृषि अनु./3/1/14/46/588 भोपाल, दिनांक 30/07/2015

आदेश

म.प्र. राज्य विपणन विकास निधि नियम-2000 के अन्तर्गत कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि से अनुदान स्वीकृति हेतु गठित समिति की 46वीं बैठक दिनांक-24.07.2015 के प्रस्ताव क्र-09 में समिति द्वारा दी गयी स्वीकृति के प्रालन में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर की परियोजना "कृषि व्यवसाय प्रबंधन सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्स प्रारम्भ" के लिए राशि रु. 252.00 लाख (रु. दो करोड़ बावन लाख मात्र) म.प्र.राज्य विपणन विकास निधि नियम 2000 के नियम 7 (2) (ड) के तहत मंडी बोर्ड की कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि से अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के तहत प्रदान की जाती है।

कुल स्वीकृत राशि रु. 252.00 लाख (रु. दो करोड़ बावन लाख मात्र) में से 90 प्रतिशत राशि रूपये 226.80 लाख (रु. दो करोड़ छब्बीस लाख अस्सी हजार मात्र) कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि से अनुदान रूप में तथा शेष 10 प्रतिशत राशि रूपये 25.20 लाख (रु. दो लाख बीस हजार मात्र) की व्यवस्था राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा अपने स्रोतों से की जावेगी।

उपरोक्त अनुदान निम्न शर्तों के अधीन देय रहेगा :-

- (1) जिस प्रयोजन के लिये अनुदान स्वीकृत है उससे हटकर स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं होगा, एवं परियोजना की लागत राशि में वृद्धि होने पर बढी हुई राशि का वहन संस्था द्वारा अपने स्रोतों से किया जावेगा।
- (2) अनुदान राशि का उपयोग "आवर्ती व्यय" में उपगत नहीं होगा।
- (3) अनुदान की राशि परियोजना की प्रगति के आधार पर समय-समय पर समिति सुनिश्चित करेगी जो किशतों में दी जावेगी।
- (4) अनुदान राशि के व्यय के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र और भौतिक कार्य सत्यापन प्रमाण पत्र संस्था द्वारा मंडी बोर्ड को भेजा जायेगा।
- (5) उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ परियोजना की भौतिक प्रगति का विवरण तथा प्रमाण उपलब्ध कराया जायेगा।
- (6) अनुदान से व्यय की गई राशि के लेखा बोर्ड के अधिकारियों के लिये सदैव खुले रहेंगे।
- (7) परियोजना का कार्य पूर्ण होने के संबंध में प्रमाण पत्र संबंधित संस्था द्वारा जारी कर बोर्ड को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (8) अनुदान से निर्मित आस्तियों की प्रविष्टि संस्था अपने रजिस्टर में करेगी।
- (9) आस्तियों पर मरम्मत संबंधी व्यय करने की जिम्मेदारी संस्था की स्वयं की होगी।

Dean CoA, Sehore    Dean CoA, Mandla    Dean CoA, Gwalior    Dean CoA, Indore    Dean CoA, Khandwa

Comptroller  
 R.V.S.K.V.V., Gwalior

11/11/15



म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेठ रोड, भोपाल

क्रमांक/कृषि/अनु./3/1/14/193/2021 भोपाल, दिनांक- 08/03/2021

प्रति,

संचालक अनुसंधान सेवाएं  
राजशाहा विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय,  
ग्वालियर !

विषय- जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की परियोजना  
"बायोटेक्नोलॉजी लैब" हेतु राशि विमुक्त कराने बाबत।

संदर्भ- आपका पत्र पत्र क्रमांक-1558 दिनांक 23.01.2021  
0000

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्रों द्वारा परियोजना "बायोटेक्नोलॉजी लैब के भवन निर्माण कार्य" के अन्तर्गत उपकरण क्रय करने के लिए राशि रु.174.28 लाख भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

कार्यालयीन स्वीकृति आदेश क्रमांक/कृषि अनु./3/1/14/191-192 दिनांक 28.02.14 के अनुक्रम में राजशाहा विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर की परियोजना "बायोटेक्नोलॉजी लैब के भवन निर्माण कार्य" के लिए मंडी बोर्ड की कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि से कुल स्वीकृत राशि रु. 2430.00 लाख की 90 प्रतिशत राशि रु. 2187.00 लाख से आठवीं किस्त के रूप में राशि रुपये 174.28 लाख (रु. एक करोड़ चौहत्तर लाख छब्बीस हजार मात्र) भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि. मंडी बोर्ड शाखा भोपाल द्वारा आरटी0जी0एल0 के माध्यम से यूको बैंक शाखा मुन्नर ग्वालियर के खाता क्रमांक-21180110015058 दिनांक-28.02.2021 को जमा करा दी गयी है। कृपया पावती प्रदान करने का कष्ट करें।

अतः परियोजना की प्रगति के संबंध में परियोजना पर व्यय की गयी राशि की तिमाही प्रगति प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, कराये गये कार्यों की फोटोग्राफ के साथ भुगतान किए गए राशि की पावती भी भिजवाने का कष्ट करें, साथ ही इस परियोजना के अन्तर्गत क्रय किये जाने वाले उपकरण, मशीनरी एवं फर्नीचर इत्यादि क्रय करने के लिए भण्डार को नियंत्रण का प्रालन करते हुए नोंद पत्र के साथ की गयी उपरोक्त कारगवाही की सत्याप्रति प्रति मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल को शीघ्र भिजवाने का कष्ट करें।

*S. P.*  
08/03/21  
उप संचालक (अधी.)  
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल

निदेशालय अनुसंधान सेवाएं

राजशाहा विजयाराजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

दिनांक : 15-03-2021

पृष्ठ क्र./नि.अ.से./त.अ./2021/1853

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. डॉ. एम.के. त्रिपाठी, प्रभारी, बायोटेक्नोलॉजी लैब, रा.वि.सिं. कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर
2. लेखानियंत्रक, रा.वि.सिं. कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर
3. निज सचिव, माननीय कुलपति, रा.वि.सिं. कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर

*ambaw*  
*Comptroller*  
*24/03/21*

**Verified**

Comptroller R.V.S.K.V.V., Gwalior  
 Dean CoA, Senore  
 Dean CoH, Mandasaur  
 Dean CoA, Gwalior  
 Dean CoA, Indore  
 Dean CoA, Khandwa

निदेशक अनुसंधान सेवाएं



## -: आदेश :-

म0प्र0 राज्य विपणन विकास निधि नियम-2000 के अन्तर्गत कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि से अनुदान स्वीकृति हेतु गठित समिति की 50वीं बैठक दिनांक-25.11.2019 के अतिरिक्त प्रस्ताव क्र.-01 में समिति द्वारा दी गयी स्वीकृति के पालन में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर की परियोजना "ऑडिटोरियम एवं संगोष्ठी हॉल के निर्माण कार्य एवं अन्य कार्य" के लिए राशि रु. 1189.61 लाख (रु. ग्यारह करोड़ नवासी लाख इकसठ हजार मात्र) म.प्र.राज्य विपणन विकास निधि नियम 2000 के नियम 7 (2) (घ) के तहत मंडी बोर्ड की कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि से अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के तहत प्रदान की जाती है।

कुल स्वीकृत राशि रु.1189.61 लाख (रु. ग्यारह करोड़ नवासी लाख इकसठ हजार मात्र) में से 90 प्रतिशत राशि रूपये 1070.65 लाख (रूपये दस करोड़ सत्तर लाख पैंसठ हजार मात्र) कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि से अनुदान रूप में तथा शेष 10 प्रतिशत राशि रूपये 118.96 लाख (रूपये एक करोड़ अठारह लाख छियानवे हजार मात्र) की व्यवस्था राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा अपने स्रोतों से की जावेगी। परियोजना के तहत निम्नलिखित कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की गई है:-

क्र.	कार्य का नाम	राशि (रूपये लाख में)
1.	ऑडिटोरियम बिल्डिंग वर्क	261.16
2.	एचवीएसी ऑडिटोरियम 90 प्रतिशत 7000 प्रति वर्गमीटर	208.53
3.	ऑडिटोरियम के लिए अतिरिक्त 9000 प्रति सीट	90.90
4.	अतिरिक्त ऑडियो-विजुअल, एक्सेसिक्स एण्ड स्टेज लाईटिंग के लिए	350.00
5.	आंतरिक कार्य के लिए	55.00
6.	आकस्मिक व्यय 3%	28.96
7.	एनबीसीसी चार्ज 7%	67.59
8.	जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी	127.46
	कुल योग:-	1189.61

उपरोक्त अनुदान निम्न शर्तों के अधीन देय रहेगा :-

- (1) जिस प्रयोजन के लिये अनुदान स्वीकृत है, उससे हटकर स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं होगा, एवं परियोजना की लागत राशि में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई राशि का वहन संस्था द्वारा अपने स्रोतों से किया जावेगा।
- (2) अनुदान राशि का उपयोग "आवर्ती व्यय" में उपगत नहीं होगा।



म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड

26, अरेंस हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/कृषि अनु/3/1/14/50/243 भोपाल, दिनांक: 12/12/2019

—: आदेश :-

म0प्र0 राज्य विपणन विकास निधि नियम-2000 के अन्तर्गत कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि से अनुदान स्वीकृति हेतु गठित समिति की 50वीं बैठक दिनांक-25.11.2019 के अतिरिक्त प्रस्ताव क्र.-02 में समिति द्वारा दी गयी स्वीकृति के पालन में राजमाता विजयाराजे सिधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर की परियोजना " जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र में जीन भण्डार की स्थापना" के लिए राशि रु. 925.00 लाख (रु. नौ करोड़ पच्चीस लाख मात्र) म.प्र.राज्य विपणन विकास निधि नियम-2000 के नियम 7 (2) (घ) के तहत मंडी बोर्ड की कृषि अनुसंधान एवं अधोसंरचना विकास निधि से अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के तहत प्रदान की जाती है।

कुल स्वीकृत राशि रु.925.00 लाख (रु. नौ करोड़ पच्चीस लाख मात्र) में से 90 प्रतिशत राशि रूपये 832.50 लाख (रूपये आठ करोड़ बत्तीस लाख पचास हजार मात्र) कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि से अनुदान रूप में तथा शेष 10 प्रतिशत राशि रूपये 92.50 लाख (रूपये बानवे लाख पचास हजार मात्र) की व्यवस्था राजमाता विजयाराजे सिधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा अपने स्रोतों से की जावेगी। परियोजना के तहत निम्नलिखित कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की गई है:-

क्र.	कार्य का नाम	राशि (रूपये लाख में)
1.	बायोटेक्नोलॉजी लैब के उपकरण के लिए	875.00
2.	लैब के फर्नीचर के लिए	50.00
	कुल योग:-	925.00

उपरोक्त अनुदान निम्न शर्तों के अधीन देया रहेगा :-

- (1) जिस प्रयोजन के लिये अनुदान स्वीकृत है, उससे हटकर स्वीकृत राशि का उपयोग नहीं होगा, एवं परियोजना की लागत राशि में वृद्धि होने पर बड़ी हुई राशि का वहन संस्था द्वारा अपने स्रोतों से किया जावेगा।
- (2) अनुदान राशि का उपयोग "आवर्ती व्यय" में उपगत नहीं होगा।
- (3) अनुदान की राशि परियोजना की प्रगति के आधार पर समय-समय पर संस्था को किशतों में दी जावेगी।
- (4) अनुदान राशि के व्यय के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र और भौतिक कार्य सत्यापन प्रमाण पत्र संस्था द्वारा मंडी बोर्ड को भेजा जावेगा।
- (5) उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ परियोजना की भौतिक प्रगति का विवरण तथा प्रमाण संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- (6) अनुदान से व्यय की गई राशि के लेखा, बोर्ड के अधिकारियों के लिये सदैव खुले रहेंगे।
- (7) परियोजना का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र संबंधित संस्था द्वारा जारी कर बोर्ड को उपलब्ध कराया जावेगा।

Dean CoA, Sehore Dean CoH, Mandasaur Dean CoA, Gwalior Dean CoA, Indore Dean CoA, Khandwa



Year	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	Total
	285.73	194.85	0.00	0.00	78.00	558.58

ICAR Dev. Grant (Receiver) *159 Indore*

**VERIFIED**

**Verified**

Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

*RSR*  
DY. Director  
Local Fund Audit Gwalior  
Camp-RAD RVSKV Gwl.

Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

*HS*  
Dean  
CoA, Sehore

*MA*  
Dean  
CoA, Mandasaur

*KS*  
Dean  
CoA, Gwalior

*RSR*  
Dean  
CoA, Indore

*KS*  
Dean  
CoA, Khairwa

Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

**Verified**

*CoA Sehore, CoA Mandasaur, CoA Gwalior, CoA Indore, CoA Khairwa*



ICAR

Development and SC-SP and library  
strengthening - (Capital)

8978 - A

(D-current)

(in Lacs)

S.no.	Year	Received from ICAR (Capital)
1	2017-18	1065.36
2.	2018-19	198.73
3.	2019-20	285.73
4.	2020-21	194.85
5.	2021-22	00
Total		1744.67

VERIFIED

Verified

Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

Dy. Director  
Local Fund Audit Gwalior  
Camp-RAD RVSKV Gwl.

RSK

Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

Dean  
CoA, Indore

Dean  
CoA, Gwalior

Dean  
CoA, Indore

Dean  
CoA, Indore

Dean  
CoA, Indore






24001197

15

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद  
Indian Council Of Agricultural Research  
कृषि अनुसंधान भवन- II, पुसा, नई दिल्ली -110012  
Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi-110012

Phone 011-25841559  
adg.eph@icar.gov.in  
Website www.icar.org.in

डॉ बिमलेश मान  
Dr. Bimlesh Mann  
सहायक महानिदेशक (शिक्षा योजना और गृह विज्ञान)  
Asstt. Director General (Education Planning & Home Science)



Release : First Instalment /2023-24 under SC-SP

F.No. F.No. Agril.Edn./5(2)/2023-EP&HS  
Dated : 08-Mar-2024

To,  
The Vice-Chancellor  
Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya  
Gwalior

Subject:- Release of grant under sub component "Scheduled Caste - Sub Plan (SC-SP)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2023-24 - reg.

Sir,

The approval and sanction of the Council is hereby conveyed amounting to Rs. 6600000.00 approved by Secretary, DARE & DG, ICAR under sub component "Scheduled Caste - Sub Plan (SC-SP)" of Agricultural Education Division, ICAR EFC scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year 2023-24 on the approved items as per list enclosed. The details of the funds allocated under Scheduled Caste- Sub Plan (SC-SP) are given in Table given as under:

S.No.	Particulars	Amount (in Lakh)		
		Capital	General	Total
	Total fund allocated under "Schedule Caste Sub Plan" during the CFY 2023-24			
1.	Amount as First Instalment	600000.00	6000000.00	6600000.00
2.	Amount as Second Instalment	0.00	0.00	0.00
3.	Amount as Third Instalment	0.00	0.00	0.00
4.	Amount as Four Instalment	0.00	0.00	0.00
5.	Total fund allocated during 2023-24	600000.00	6000000.00	6600000.00
6.	Total amount released so far (Sr. No. 1 )			0.00
7.	Amount proposed to be released as First Instalment			6600000.00
8.	Unspent as per AUC 2022-23			930820.00
9.	Unspent as per AUC 2022-23 already adjusted in 2023-24			930820.00
10.	Difference, if any, to be refunded/adjusted			0.00
11.	Net amount to be released as First Instalment			6600000.00
12.	Actual Amount release to the University			6600000.00

Handwritten notes: 25/3/24, total of 6600000.00, 11/8/24

Comptroller  
R.V.S.K.V.V. Gwalior

The entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head subject to the final settlement in due course on the basis of the audit utilization certificate of statutory auditors furnished by the university. In no case the expenditure be incurred on the items not approved by the ICAR.

Dean  
CoA, Sehore  
Dean  
CoA, Mandla  
Dean  
CoA, Gwalior  
Dean  
CoA, Indore  
Dean  
CoA, Khandwa

Comptroller  
R.V.S.K.V.V. Gwalior

4202/2024/11





कार्यालय लेखा नियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृ. वि. वि. विद्यालय  
राजा पंचमसिंह मार्ग, आकाशवाणी के पास, ग्वालियर - 474002 (म.प्र.)

फोन नं. 0751-2970515 (0) 0751-2970516 (फैक्स)  
E-mail- comptroller@rvskvv.net

क्रमांक/ले.नि./2023-24/3443

ग्वालियर 22/23/2024

//आदेश//

सहायक महानिदेशक (शिक्षा योजना एवं गृह विज्ञान), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के ई-मेल दिनांक 20.03.2024 के क्रम में विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाईयों को "Development Grant" के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में प्रथम किश्त के रूप में राशि रु. 12.00 लाख (बारह लाख) मात्र का निम्नलिखित शर्तों के अधीन बजट आवंटन किया जाता है।

S.No.	Name Of College	Amount
1.	College Of Agriculture, Gwalior	2.50
2.	College Of Agriculture, Indore	2.00
3.	College Of Agriculture, Sehore	2.00
4.	College Of Agriculture, Khandwa	1.50
5.	College Of Horticulture, Mandsaur	2.00
6.	Nodel Cell, RVSKVV Gwalior	2.00
Total		12.00

- सामग्री क्रय करते समय नियमानुसार विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जावे, विश्वविद्यालय/म.प्र. शासन वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार पत्र क्रमांक/एफ-6-14/2012/अ-ग्यारह दिनांक 28.07.2015 तथा म.प्र. भण्डार क्रय नियमों के प्रावधानों व समय समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक/ले.नि./2018-19/177 दिनांक 12.04.2018 से भंडार सामग्री क्रय किये जाने के संबंध में जारी किये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे। तथा राशि व्यय करते समय नियमानुसार वित्तीय नियमों के परिपेक्ष्य में वित्तीय अनुशासन एवं वित्तीय औचित्य के मानक सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- राशि व्यय करते समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्/भारत सरकार कृषि मंत्रालय/परियोजना संचालनालय द्वारा परियोजना से संबंधित जारी किये गये दिशा-निर्देशों तथा निर्धारित की गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जावे।
- GEM पोर्टल से क्रय में मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम 2015 के प्रावधानों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- राशि व्यय करते समय योजना से संबंधित जारी किये गये दिशा निर्देशों तथा निर्धारित की गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जावे।
- वर्क से संबंधित कार्य विश्वविद्यालय के कार्यपालन यंत्री/उपयंत्री के माध्यम/सहयोग से नियमानुसार सम्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र अतिशीघ्र इस कार्यालय को भेजें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की गई है। उसका उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया गया है।  
उक्त व्यय बजट शीर्ष "Development Grant" विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाईयों वर्ष 2023-24 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार

क्रमांक/ले.नि./2023-24/3444

प्रतिलिपि:-

- अधिष्ठाता, कृषि संकाय रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
- अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय ग्वालियर/इंदौर/सीहोर/खंडवा/उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर।
- नोडल सेल, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
- शाखा अधिकारी, वित्त/रिलीज, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर। राशि विमोचित करना है।
- माननीय कुलपतिजी के निजसचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।

(लेखा नियंत्रक)

ग्वालियर : 22/23/2024

Verified  
Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

(लेखा नियंत्रक)

Dean

Dean  
CoA, Sehore

Dean  
CoH, Mandsaur

Dean  
CoA, Gwalior

Dean  
CoA, Indore

Dean  
CoA, Khandwa

Scanned with OKEN Scanner








Development Grant 2018-19 Total Allotment - 1,41,71,000

S.No.	Head	Allotment/Rel.	Expenditure	Balance
1.	D.F.A., R.V.S.K.V.V., Gwalior	1,97,3000	1,97,3000	0.00
2.	E.E., R.V.S.K.V.V., Gwalior	12,00,000	12,00,000	0.00
3.	D.I., R.V.S.K.V.V., Gwalior	3,98,000	2,79,447	1,18,553
4.	College of Agriculture, Gwalior	13,50,000	13,31,341	18,659
5.	College of Agriculture, Sehore	23,50,000	23,50,000	0.00
6.	College of Agriculture, Indore	23,50,000	23,48,164	1,836
7.	College of Agriculture, Khandwa	23,50,000	23,50,000	0.00
8.	College of Horticulture, Mandsaur	22,00,000	21,99,991	9.00
Total		1,41,71,000	1,40,31,943	1,39,057

SC-SP under Development Grant 2018-19 Allotment ₹1,35,00,000

S.No.	Head	Allotment/Rel.	Expenditure	Balance
1.	D.F.A., R.V.S.K.V.V., Gwalior	30,00,000	29,43,162	56,838
2.	E.E., R.V.S.K.V.V., Gwalior	25,00,000	25,00,000	0.00
3.	College of Agriculture, Gwalior	16,00,000	10,62,749	5,37,251
4.	College of Agriculture, Sehore	16,00,000	16,00,000	0.00
5.	College of Agriculture, Indore	16,00,000	16,00,000	0.00
6.	College of Agriculture, Khandwa	16,00,000	15,99,580	420
7.	College of Horticulture, Mandsaur	16,00,000	0.00	16,00,000
Total		1,35,00,000	1,13,05,491	21,94,509

 Dean CoA, Sehore  
 Dean CoA, Mandsaur  
 Dean CoA, Gwalior  
 Dean CoA, Indore  
 Dean CoA, Khandwa

**Verified**

  
**Comptroller**  
 R.V.S.K.V.V., Gwalior








**OFFICE OF THE COMPTROLLER**  
**RAJMATA VIJAYARAJE SCINDIA KRISHI VISHWA VIDHYALAYA**  
**GWALIOR (M.P.) - 474 002**

Development Grant 2019-20 Total Allotment - 2, 10, 00,000  
 F.No.Agril.Edn./4-50/2017-EP&HS Dated: 31.07.2019.

S.No.	Head	Allotment/Rel.	Expenditure	Balance
1.	D.F.A., R.V.S.K.V.V., Gwalior	32,00,000	20,82,880	11,17,120
2.	E.E., R.V.S.K.V.V., Gwalior	10,00,000	10,00,000	0.00
3.	College of Agriculture, Gwalior	79,00,000	66,20,057	12,79,943
4.	College of Agriculture, Sehore	29,00,000	25,92,000	3,08,000
5.	College of Agriculture, Indore	54,00,000	48,21,388	5,78,612
6.	College of Agriculture, Khandwa	3,00,000	2,99,268	732
7.	College of Horticulture, Mandsaur	3,00,000	2,99,983	17
<b>Total</b>		<b>2,10,00,000</b>	<b>1,77,15,576</b>	<b>32,84,424</b>

SC-SP under Development Grant 2019-20 Allotment.  
 F.No.Agril.Edn./21-50/2017-EP&HS Dated: 18.09.2019. Amount: - 82,25,000.  
 F.No.Agril.Edn./21-50/2017-EP&HS Dated: 17.01.2020. Amount:- 28,75,000.

S.No.	Head	Allotment/Rel.	Expenditure	Balance
1.	E.E., R.V.S.K.V.V., Gwalior	44,43,250	44,43,250	0.00
2.	D.I., R.V.S.K.V.V., Gwalior	1,29,750	1,29,676	74
3.	College of Agriculture, Gwalior	13,61,600	16,776	13,44,824
4.	College of Agriculture, Sehore	13,41,350	2,00,000	11,41,350
5.	College of Agriculture, Indore	13,41,350	9,92,140	3,49,210
6.	College of Agriculture, Khandwa	13,41,350	2,96,845	10,44,505
7.	College of Horticulture, Mandsaur	15,41,350	12,40,301	3,01,049
<b>Total</b>		<b>1,15,00,000</b>	<b>73,18,988</b>	<b>41,81,012</b>

 Dean  
 CoA, Sehore
  Dean  
 CoH, Mandsaur
  Dean  
 CoA, Gwalior
  Dean  
 CoA, Indore
  Dean  
 CoA, Khandwa

Dev. Grant & SCSP 2019-20

**Verified**  
  
**Comptroller**  
 R.V.S.K.V.V., Gwalior















GFR 12-A  
 AUDITED UTILIZATION CERTIFICATE  
 STRENGTHENING AND DEVELOPMENT OF HIGHER AGRICULTURAL EDUCATION IN INDIA  
 (SUB-COMPONENT WISE)

Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya, Gwalior

Name of the University:

Financial Year:

2020-21

1. Name of Scheme:

Schedule Caste Sub Plan

2. Total Grant received:

Capital	General	Total
8500000.00	818988.00	9318988.00

3. Grant Position of the beginning of the Financial Year (Opening Balance)

3(i) Cash in Hand/Bank:

0.00

3(ii) Unadjusted advances:

Capital	General	Total
0.00	4181012.00	4181012.00

3(iii) Total {3(i)+3(ii)}:

4181012.00

4. Total grant available (Sr.no.2+ Sr.no.3)

Capital	General	Total
8500000.00	5000000.00	13500000.00

5. Details of grants received, expenditure incurred and closing balance : (Actuals)

Unspent Balances of Grants received Years (figure as at Sl. No. 3(iii))	Interest Earned thereon	State Share	Grant received during the year			Total Available funds	Expenditure incurred	Closing Balance		
			Sanction No. (i)	Date	Amount					
4181012.00	0.00	0.00	F. No. Agril. Edn/1(10)/2020-EP&HS	10.09.2020	6500000.00	818988.00	9318988.00			
			F. No. Agril. Edn/1(10)/2020-EP&HS	28.01.2021	0.00	0.00	0.00			
			F. No. Agril. Edn/1(10)/2020-EP&HS	22.03.2021	0.00	0.00	0.00	13500000.00	12569180.00	930820.00
			F. No. Agril. Edn/1(10)/2020-EP&HS	18.03.2021	0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00			
			<b>Total</b>		8500000.00	818988.00	9318988.00			
Refund to Council, if any						0.00				
Total available fund						13500000.00	12569180.00	930820.00		

6. Component wise utilization of grants

Capital  
8500000.00

General  
4069180.00

Total  
12569180.00

**Verified**

**Comptroller**  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

7. Details of Grants position of the end of the year (Closing Balance as an unspent balance)

7(i) Cash in Hand/Bank:

0.00

7(ii) Unadjusted advances:

Capital	General	Total
0.00	930820.00	930820.00

7(iii) Total {7(i)+7(ii)}:

930820.00

Certified that I have satisfied myself that the conditions on which grants were sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised following checks to see that the money has been actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Dean, CoA, Sehore

Dean, CoA, Mandasaur

Dean, CoA, Gwalior

Dean, CoA, Indore

Dean, CoA, Khandwa





Indian Council Of Agricultural Research  
कृषि अनुसंधान भवन- II, पुसा, नई दिल्ली-110012  
Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi-110012

Phone 011-25841333  
adg@icar.gov.in  
Website www.icar.org.in

डॉ पी एस पांडेय  
Dr. P. S. Pandey  
सहायक महाविद्यालय (शिक्षा योजना और गृह विज्ञान)  
Asstt. Director General (Education Planning & Home Science)

Release : Forth Instalment /2020-21 under SC-SP

F.No. Agril.Edn.11(10)/2020-EP&HS  
Dated : 18-Mar-2021

To,  
The Vice-Chancellor  
Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya  
Gwalior

Subject:- Release of grant under sub component "Scheduled Caste - Sub Plan (SC-SP)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2020-21 - reg.

Sir,  
The approval and sanction of the Council is hereby conveyed amounting to Rs. 1750000.00 approved by Secretary, DARE & DG, ICAR under sub component "Scheduled Caste - Sub Plan (SC-SP)" of Agricultural Education Division, ICAR EFC scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year 2020-21 on the approved items as per list enclosed. The details of the funds allocated under Scheduled Caste- Sub Plan (SC-SP) are given in Table given as under:

S.No.	Particulars	Amount (In Lakh)		
		Capital	General	Total
	Total fund allocated under "Schedule Caste Sub Plan" during the CFY 2020-21			3000000.00
1.	Amount as First Instalment	2000000.00	1000000.00	3000000.00
2.	Amount as Second Instalment	2500000.00	1000000.00	3500000.00
3.	Amount as Third Instalment	3000000.00	2250000.00	5250000.00
4.	Amount as Four Instalment	1000000.00	750000.00	1750000.00
5.	Total fund allocated during 2020-21	8500000.00	5000000.00	13500000.00
6.	Total amount released so far (Sr. No. 1 /2 /3 /4 )			1750000.00
7.	Amount proposed to be released as Forth Instalment			4151012.00
8.	Unspent as per UC/AUC 2019-20			2500000.00
9.	Unspent as per AUC 2019-20 already adjusted in 2020-21			58612.00
10.	Difference, if any, to be refunded/adjusted			1063988.00
11.	Net amount to be released as Forth Instalment			1686924.00
12.	Actual Amount release to the University			

Verified  
Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

Dean CoA, Sehore    Dean CoH, Mandasaur    Dean CoA, Gwalior    Dean CoA, Indore    Dean CoA, Khandwa





भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद  
Indian Council of Agricultural Research  
कृषि अनुसंधान भवन- II, पुसा, नई दिल्ली -110012  
Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi-110012

डॉ पी एस पांडेय  
Dr. P. S. Pandey  
सहायक महानिदेशक (शिक्षा योजना और गृह विज्ञान)  
Asstt. Director General (Education Planning & Home Science)

Phone 011-25841559  
adgpephs@gmail.com  
Website www.icar.org.in

Release : Second Instalment/

F.No. Ag.Edn./1(11)/2020-EP&HS

Dated : 29-Jan-2021

To,  
The Vice-Chancellor  
Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya  
Gwalior

Subject:- Release of grant under sub component "Strengthening and Development of AUs (Development Grant)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2020-21 - reg.

Sir,  
The approval and sanction of the Council is hereby conveyed amounting to Rs. 6102960.00 approved by Secretary, DARE & DG, ICAR under sub component "Strengthening and Development of AUs (Development Grant)" of Agricultural Education Division, ICAR EFC scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year 2020-21 on the approved items as per list enclosed. The details of the funds allocated under Strengthening and Development of AUs (Development Grant) are given in Table given as under:

Sl.No.	Particulars	Amount (in Rs. )		
		Capital	General	Total
	Total fund allocated under "Development Grant " during the CFY 2020-21			
1.	Amount as First Instalment	5492664.00	610296.00	6102960.00
2.	Amount as Second Instalment	5492664.00	610296.00	6102960.00
3.	Amount as Third Instalment	0.00	0.00	0.00
4.	Amount as Four Instalment	0.00	0.00	0.00
5.	Total fund allocated during 2020-21	10985328.00	1220592.00	12205920.00
6.	Total amount released so far (Sr. No. 1 /2 )			6102960.00
7.	Amount proposed to be released as Second Instalment			6102960.00
3.	Unspent as per UC/AUC			3284424.00
3.	Unspent as per AUC already adjusted in			0.00
0.	Diffrence, if any, to be refunded/adjusted			3284424.00
1.	Net amount to be released as Second Instalment			2818536.00
2.	Actual Amount release to the University			2818536.00

Verified  
R.V.S.K.V.V., Gwalior  
Dean CoA, Sehore  
Dean CoA, Mandasaur  
Dean CoA, Gwalior  
Dean CoA, Indore  
Dean CoA, Khandwa





भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्  
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH  
कृषि अनुसंधान भवन -II, पूणा, नई दिल्ली - 110 012  
Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi - 110 012

डॉ. पी.एस. पांडेय

Dr. P.S. PANDEY

सहायक महानिदेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृह विज्ञान)  
Asstt. Director General (Education Planning & Home Science)

Phone : 011-25841559  
Fax : 011-24841559  
Email : adgaphs@gmail.com  
Website : www.icar.org.in

Dated 19/9/2017

F.No. Agril.Edn./4-50/2017-EP&HS

To

The Vice Chancellor  
Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya  
Gwalior  
Madhya Pradesh

Subject:- Release of grant under sub component "Strengthening and Development of AUs (Development Grant)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2017-18 - reg.

Sir,

I am pleased to convey the sanction of Rs. 90.35 lakhs approved by Secretary, DARE & DG. ICAR under sub component "Strengthening & Development of AUs (Development Grant)" of Plan scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year on the approved items as per list enclosed. This fund is adjustable in the XII Plan final allocation of funds to the University as to be made by the Government of India/Indian Council of Agricultural Research. The details of the funds are given in Table - I given as under:

S.No.	Particulars	Amount (Rs. in lakhs)		
		Capital	Revenue	Total
1	Fund allocated during the financial year 2017-18 as First instalment	90.35	38.72	129.07
2	Amount already released Grant in Aid - Revenue			38.72
3	Unspent amount (as per UC/AUC 2016-17) submitted by the university			7.61
4	Balance Amount to be released Grant in Aid Capital			90.35
5	Balance to be adjusted			0.00
6	Net amount to be released as First instalment (Sr. No. 4 - Sr. No. 5)			90.35

Verified

Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

The entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted the amount sanctioned under each head subject to the final settlement in due course on the basis

Dean  
CoA, Sehore

Dean  
CoA, Mandasaur

Dean  
CoA, Gwalior

Dean  
CoA, Indore

Dean  
CoA, Khairwa





भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्  
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH  
कृषि अनुसंधान भवन -II, पूसा, नई दिल्ली - 110 012  
Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi - 110 012

डॉ. पी.एस. पांडेय

Dr. P.S. PANDEY

सहायक महानिदेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृह विज्ञान)  
Asstt. Director General (Education Planning & Home Science)

Phone : 011-25841559  
Fax : 011-24841559  
Email : adgephs@gmail.com  
Website : www.icar.org.in

Dated the 14<sup>th</sup> March, 2018

F.No. Agril.Edn./4-50/2017-EP&HS

To

The Vice Chancellor  
Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya  
Gwalior  
Madhya Pradesh

Subject:- Release of grant under sub component "Strengthening and Development of AUs (Development Grant)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2017-18 - Release of Final Instalment - reg.

Sir,

I am pleased to convey the sanction of Rs. 210.75 lakh approved by Secretary, DARE & DG, ICAR under sub component "Strengthening & Development of AUs (Development Grant)" of Plan scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year on the approved items as per list enclosed. This fund is adjustable in the XII Plan final allocation of funds to the University as to be made by the Government of India/Indian Council of Agricultural Research. The details of the funds are given in Table - I given as under:

Table - I

S.No.	Particulars	Amount (Rs. in lakhs)		
		Capital	Revenue	Total
	Year - 2017-18			
1	Fund allocated	1021.36	177.54	1198.90
2	Amount already released	90.35	122.59	988.14
3	Amount to be released as Final Instalment (Sr. No. 1 - Sr. No. 2)	155.81	54.94	210.75
4	Unspent amount (as per UC/AUC 2016-17) submitted by the university * (already adjusted)			10.76
5	Net Amount to be released as Final Instalment	155.81	54.94	210.75

The entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be

Verified

Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

Dean

CoA, Sehore

Dean

CoH, Mandsaur

Dean

CoA, Gwalior

Dean

CoA, Indore

Dean

CoA, Khandwa



2017-18

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्  
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH  
कृषि अनुसंधान भवन -II, पुसा, नई दिल्ली - 110 012  
Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi - 110 012

डॉ. पी.एस. पांडेय  
Dr. P.S. PANDEY

सहायक महानिदेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृह विज्ञान)  
Asstt. Director General (Education Planning & Home Science)

Phone : 011-25341559  
Fax : 011-24341559  
Email : adgphs@gmail.com  
Website : www.icar.org.in

F.No. Agril.Edn.4-50/2017-EP&HS

Dated 18/11/2017

To  
The Vice Chancellor  
Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya  
Gwalior  
Madhya Pradesh

Subject:- Release of grant under sub component "Strengthening and Development of AUs (Development Grant)" under the Agriculture Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2017-18 - R.G.

Sir,

I am pleased to convey the sanction of Rs. 38.72 lakh approved by Secretary, DARE & DG, ICAR under sub component "Strengthening & Development of AUs (Development Grant)" of Plan scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year on the approved items as per list enclosed. This fund is adjustable in the XII Plan final allocation of funds to the University as to be made by the Government of India/Indian Council of Agricultural Research. The details of the funds are given in Table - I given as under:

Table - I

S.No.	Particulars	Amount (Rs. in lakhs)		
		Capital	Revenue	Total
1	Fund allocated during the financial year 2017-18 as First instalment	0.00	38.72	38.72
2	Unspent amount (as per UR (AUC 2016-17) submitted by the university)			7.69
3	Net amount to be released as First instalment (Sl. No. 1 - Sl. No. 2)			31.03

The entire grant-in-aid is governed by the set of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head subject to the final settlement in due course on the basis of the audit certificate of statutory auditors furnished by the university. In no case the expenditure should be incurred on the items not approved of by the ICAR.

Verified  
Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

Comptroller's office  
Bosy  
17/11/17

Dean CoA, Sehore  
Dean CoA, Mandasaur  
Dean CoA, Gwalior  
Dean CoA, Indore  
Dean CoA, Khandwa

17/11/17  
17/11/17



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्  
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH  
कृषि अनुसंधान भवन -II, पूसा, नई दिल्ली - 110 012  
Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi - 110 012

डॉ. पी.एस. पांडेय

Dr. P.S. PANDEY

सहायक महानिदेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृह विज्ञान)  
Asstt. Director General (Education Planning & Home Science)

Phone : 011-25041559  
Fax : 011-24841559  
Email : adgephs@gmail.com  
Website : www.icar.org.in

F.No. Ag.Edn./4-50/2017-EP&HS

Dated the 20/2/18

To

The Vice Chancellor  
RVSKVV,  
Gwalior  
Madhya Pradesh

Subject:- Release of grant under sub component "Strengthening and Development of AUs (Development Grant)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2017-18 - reg.

Sir,

I am pleased to convey the sanction of Rs. 400.00 lakh (Rupees four hundred lakh only) approved by Secretary, DARE & DG, ICAR under sub component "Strengthening & Development of AUs (Development Grant)" of Plan scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year on the approved items as per list enclosed. This fund is adjustable in the XII Plan final allocation of funds to the University as to be made by the Government of India/Indian Council of Agricultural Research. The details of the funds are given in Table - I given as under:

Table - I

S. No.	Particulars	Amount (Rs. in lakhs)		
		Capital	Revenue	Total
1	Fund allocated during the financial year 2017-18 as Second Instalment	400.00	0.00	400.00
2	Unspent balance as per AUC 2016-17 (amount already adjusted during the release of first instalment in 2017-18)			7.61
3	Unspent balance, if any, as per AUC 2016-17, which was not adjusted during the release of first instalment, is being adjusted during release of Second Instalment 2017-18)			0.00
4	Net amount to be released as Second Instalment (Sr. No. 1 - Sr. No. 3)			400.00

Verified

Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

Dean  
CoA, Sehore

Dean  
CoA, Mandasaur

Dean  
CoA, Gwalior

Dean  
CoA, Indore

Dean  
CoA, Khandwa





भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्  
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH  
कृषि अनुसंधान भवन -II, पृसा, नई दिल्ली - 110 012  
Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi - 110 012

डॉ. पी.एस. पांडेय

Dr. P.S. PANDEY

सहायक महानिदेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृह विज्ञान)  
Asstt. Director General (Education Planning & Home Science)

Phone : 011-25841559  
Fax : 011-24841559  
Email : adgphs@gmail.com  
Website : www.icar.org.in

F.No. Agril.Edn./4-50/2017-EP&amp;HS

Dated the 28<sup>th</sup> October, 2017

07/11/2017

15/11/2018

To

The Vice Chancellor  
Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya  
Gwalior  
Madhya Pradesh

Subject:- Release of grant under sub component "Strengthening and Development of AUs (Development Grant)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2017-18 - reg.

Sir,

I am pleased to convey the sanction of Rs. 83.87 lakhs approved by Secretary, DARE & DG, ICAR under *sub component "Strengthening & Development of AUs (Development Grant)"* of Plan scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year on the approved items as per list enclosed. This fund is adjustable in the XII Plan final allocation of funds to the University as to be made by the Government of India/Indian Council of Agricultural Research. The details of the funds are given in Table - I given as under:

Table - I

S. No.	Particulars.	Amount (Rs. in lakhs)		
		Capital	Revenue	Total
1	Fund allocated during the financial year 2017-18 as Second Instalment	0.00	83.87	83.87
2	Unspent balance as per AUC 2016-17 (amount adjusted during the release of first instalment in 2017-18)			10.76
3	Unspent balance, if any, as per AUC 2016-17, which was not adjusted during the release of first instalment, is being adjusted during release of Second Instalment 2017-18)			0.00
4	Net amount to be released as Second Instalment (Sr. No. 1 - Sr. No. 3)			83.87

The entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head subject to the final settlement in due course on the basis

Verified  
Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

Dean  
CoA, Sehore

Dean  
CoA, Mandasaur

Dean  
CoA, Gwalior

Dean  
CoA, Indore

Dean  
CoA, Khandwa





भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद  
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH  
कृषि अनुसंधान भवन -II, पूसा, नई दिल्ली - 110 012  
Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi - 110 012

डॉ. पी.एस. पांडेय

Dr. P.S. PANDEY

सहायक महानिदेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृह विज्ञान)  
Asstt. Director General (Education Planning & Home Science)


Phone : 011-25041559  
Fax : 011-24841559  
Email : adgephs@gmail.com  
Website : www.icar.org.in

Dated the 3<sup>rd</sup> November, 2017

F.No. Ag.Edn./4-50/2017-EP&amp;HS

To

The Vice Chancellor  
RVSKVV,  
Gwalior  
Madhya Pradesh



Subject:- Release of grant under sub component "Strengthening and Development of AUs (Development Grant)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2017-18 - reg.

Sir,

I am pleased to convey the sanction of Rs. 375.20 lakh (Rupees three hundred seventy five lakh and twenty thousand only) approved by Secretary, DARE & DG, ICAR under sub component "Strengthening & Development of AUs (Development Grant)" of Plan scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year on the approved items as per list enclosed. This fund is adjustable in the XII Plan final allocation of funds to the University as to be made by the Government of India/Indian Council of Agricultural Research. The details of the funds are given in Table - I given as under:

Table - I

S. No.	Particulars	Amount (Rs. in lakhs)		
		Capital	Revenue	Total
1	Fund allocated during the financial year 2017-18 as Second Instalment	375.20	0.00	375.20
2	Unspent balance as per AUC 2016-17 (amount adjusted during the release of first instalment in 2017-18)			7.61
3	Unspent balance, if any, as per AUC 2016-17, which was not adjusted during the release of first instalment, is being adjusted during release of Second Instalment (2017-18)			0.00
4	Net amount to be released as Second Instalment (Sr. No. 1 - Sr. No. 3)			375.20

The entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head subject to the final settlement in due course on the basis

D No/Vc/17-18/3318  
15/11/18

16/11/2018  
Dean  
CoA, Echore

15/11/2018  
Dean  
CoA, Mandasaur

15/11/2018  
Dean  
CoA, Gwalior

15/11/2018  
Dean  
CoA, Indore

15/11/2018  
Dean  
CoA, Khandwa

Verified

Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior





भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्  
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH  
कृषि अनुसंधान भवन - II, पूसा, नई दिल्ली - 110 012  
Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi - 110 012

डॉ. पी.एस. पांडेय

Dr. P.S. PANDEY

सहायक महानिदेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृह विज्ञान)  
Asstt. Director General (Education Planning & Home Science)

Phone : 011-25841559  
Fax : 011-24341559  
Email : adgephs@gmail.com  
Website : www.icar.org.in

First and Final Instalment under SC-SP

Dated the 28<sup>th</sup> February, 2109

F.No. Agril.Edn./21-50/2017-EP&HS

To

The Vice Chancellor  
Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya  
Gwalior  
Madhya Pradesh

Subject:- Release of grant under sub component "Scheduled Caste - Sub Plan (SC-SP)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2018-19 - reg.

Sir,

I am pleased to convey the sanction of Rs. 135.00 lakhs approved by Secretary, DARE & DG. ICAR under sub component "Scheduled Caste - Sub Plan (SC-SP)" of Agricultural Education Division, ICAR EFC scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year on the approved items as per list enclosed. The details of the funds allocated under Scheduled Caste Sub Plan (SC-SP) are given in Table - I given as under:

Table - I

S. No.	Particulars	Amount (Rs. in lakhs)		
		GIA-Capital	GIA - General	Total
1	Fund allocated during the financial year 2018-19 as First and Final instalment	50.00	85.00	135.00
2	Unspent amount as per UC/AUC 2017-18 submitted by the university			0.00*
3	Net amount to be released as First and Final instalment (Sr. No. 4 - Sr. No. 5)			135.00

\*No grant was released to the above accredited AUs under SC-SP during 2017-18, hence, no need of AUC 2017-18. First time funds earmarked for release during CFY 2018-19 as additional budget in this current financial under sub component Scheduled Caste Sub Plan (SC-SP).

The entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head subject to the final settlement in due course on the basis of the audit certificate of statutory auditors furnished by the university. In no case the expenditure should be incurred on the items not approved of by the ICAR.

Dean  
CoA, Sehore

Dean  
CoA, Mandla

Dean  
CoA, Gwalior

Dean  
CoA, Indore

Dean  
CoA, Kota

Verified  
Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्  
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH  
कृषि अनुसंधान भवन -II, पूसा, नई दिल्ली - 110 012  
Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi - 110 012

Phone : 011-25841559  
Fax : 011-24841559  
Email : adgephs@gmail.com  
Website : www.icar.org.in

एस. पांडेय

S. PANDEY

महानिदेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृह विज्ञान)  
Director General (Education Planning & Home Science)

Dated the 6th August, 2018  
13/01/2018

F.No. Agril.Edn./4-50/2017-EP&HS

The Vice Chancellor  
Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya  
Gwalior  
Madhya Pradesh

Subject:- Release of grant under sub component "Strengthening and Development of AUs (Development Grant)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2018-19 - reg.

Sir,

I am pleased to convey the sanction of Rs. 141.71 lakhs approved by Secretary, DARE & DG, ICAR under sub component "Strengthening & Development of AUs (Development Grant)" of Plan scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year on the approved items as per list enclosed. The balance fund is adjustable in the next financial year of the final allocation to the University as to be made by the Government of India/Indian Council of Agricultural Research. The details of the funds are given in Table - I given as under:

Table - I

S. No.	Particulars	Amount (Rs. in lakhs)		
		Capital	Revenue	Total
1	Fund allocated during the financial year 2018-19 as First Instalment	103.73	37.98	141.71
2	Unspent balance as per AUC 2017-18			103.33
3	Net amount to be released as First Instalment (Sr. No. 1 - Sr. No. 2)			38.38

The entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head subject to the final settlement in due course on the basis of the audit certificate of statutory auditors furnished by the university. In no case the expenditure should be incurred on the items not approved of by the ICAR.

Verified  
Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

38/1/18  
1/12/18  
Dear

CoA, Sehore

CoA, Mandsaur

CoA, Gwalior

CoA, Indore

CoA, Khandwa





भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्  
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH  
कृषि अनुसंधान भवन-II, नई दिल्ली 110012  
Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi - 110 012

19000493

डॉ. पी. एस. पांडेय

Dr. P. S. PANDEY

सहायक महानिदेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृह विज्ञान)


Asstt. Director General (Education Planning & Home Science)

Phone : 011-25841559

Fax : 011-24841559

Email : adgaphs@gmail.com

Website : www.icar.org.in



File No. 9-43/2017-EP&HS

Dated: 27.08.2018

To  
The Vice Chancellor  
Rajmata Vijayaraje Sciendia Krishi Vishwa Vidyalaya,  
Gwalior-474 002 (M.P)

Subject: Release of funds for the F.Y. 2018-19 under Library Strengthening to Rajmata Vijayaraje Sciendia Krishi Vishwa Vidyalaya, Gwalior-474 002 (M.P)

Sir,

The sanction of the Competent Authority of the Council is hereby conveyed for Rs. 45.00 lakh (Rupees Forty five lakh only) for CFY 2018-19 under the component Library Strengthening of the plan scheme Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India to RVSKVV, Gwalior (M.P). The details are as given below:

(Rs. in lakh)

S. No.	Head	Allocation	Release	Unspent amount	Net amount to be
		2018-19	2018-19	(2017-18)	released
1.	Capital	45.00	45.00	0.39	44.61
2.	Revenue	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Total	45.00	45.00	0.39	44.61

1. This entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head (as per annexure- I) subject to the final settlement in due course on the basis of the audit certificate of statutory auditors furnished by the university.
2. In no case the expenditure be incurred on the items not approved by the ICAR.
3. Layout plan and estimate of the any civil works (including extension if any, to existing civil work) including their design and estimate in particular, for which grant has been released shall be got approved from the ICAR.
4. In addition, the approval of ICAR is required for the civil work of repair/renovation amount exceeding Rs. 10.00 lakhs per single work and approval of ICAR is must for purchase of equipments exceeding Rs. 5.00 lakhs. Out of capital funds, no expenditure will be incurred

Verified  
Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

Received  
21.9.18  
Comptroller

Dean  
CoA, Sehore

Dean  
CoA, Mandasaur

Dean  
CoA, Gwalior

Dean  
CoA, Indore

Dean  
CoA, Khandwa








**OFFICE OF THE COMPTROLLER**  
**RAJMATA VIJAYARAJE SCINDIA KRISHI VISHWA VIDHYALAYA**  
**GWALIOR (M.P.) - 474 002**

Development Grant 2019-20 Total Allotment - 2, 10, 00,000  
 F.No.Agril.Edn./4-50/2017-EP&HS Dated: 31.07.2019.

S.No.	Head	Allotment/Rel.	Expenditure	Balance
1.	D.F.A., R.V.S.K.V.V., Gwalior	32,00,000	20,82,880	11,17,120
2.	E.E., R.V.S.K.V.V., Gwalior	10,00,000	10,00,000	0.00
3.	College of Agriculture, Gwalior	79,00,000	66,20,057	12,79,943
4.	College of Agriculture, Sehore	29,00,000	25,92,000	3,08,000
5.	College of Agriculture, Indore	54,00,000	48,21,388	5,78,612
6.	College of Agriculture, Khandwa	3,00,000	2,99,268	732
7.	College of Horticulture, Mandsaur	3,00,000	2,99,983	17
<b>Total</b>		<b>2,10,00,000</b>	<b>1,77,15,576</b>	<b>32,84,424</b>

SC-SP under Development Grant 2019-20 Allotment.  
 F.No.Agril.Edn./21-50/2017-EP&HS Dated: 18.09.2019. Amount: - 82,25,000.  
 F.No.Agril.Edn./21-50/2017-EP&HS Dated: 17.01.2020. Amount:- 28,75,000.

S.No.	Head	Allotment/Rel.	Expenditure	Balance
1.	E.E., R.V.S.K.V.V., Gwalior	44,43,250	44,43,250	0.00
2.	D.I., R.V.S.K.V.V., Gwalior	1,29,750	1,29,676	74
3.	College of Agriculture, Gwalior	13,61,600	16,776	13,44,824
4.	College of Agriculture, Sehore	13,41,350	2,00,000	11,41,350
5.	College of Agriculture, Indore	13,41,350	9,92,140	3,49,210
6.	College of Agriculture, Khandwa	13,41,350	2,96,845	10,44,505
7.	College of Horticulture, Mandsaur	15,41,350	12,40,301	3,01,049
<b>Total</b>		<b>1,15,00,000</b>	<b>73,18,988</b>	<b>41,81,012</b>

 Dean CoA, Sehore  
 Dean CoA, Mandsaur  
 Dean CoA, Gwalior  
 Dean CoA, Indore  
 Dean CoA, Khandwa  
Dev. Grant & SCSP 2019-20

**Verified**  
  
**Comptroller**  
 R.V.S.K.V.V., Gwalior



43

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद  
Indian Council OF Agricultural Research  
कृषि अनुसंधान भवन- II, पुसा, नई दिल्ली -110012  
Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi-110012

Phone 011-25841539  
adgaphs@gmail.com  
Website www.icar.org.in

शंभु  
Dr. Pandey  
महानिदेशक (शिक्षा योजना और गृह विज्ञान)  
Director General (Education Planning & Home Science)

Release : First Instalment  
F.No. Agril.Edn/9(43 )/2017-EP&H  
Dated : 27-Sep-2019

Chancellor  
Dr. Vijayaraje Scindia, Krishi Vishwa Vidyalaya, Gwalior

Sanction and release of funds under sub component "Library Strengthening " of the plan scheme Strengthening & Development of Higher Agricultural Education in India for the year 2019-20 - reg.

Approval and sanction of the Competent Authority of ICAR New Delhi is Rs. 3800000.00 (Rs. Thirty-Lakh Only ) (Capital Rs.3800000.00 lakh & Revenue Rs.0.00 lakh) under sub component "Library Strengthening " of Plan Scheme "Strengthening & Development of Higher Agricultural Education in India" for the expenditure to be incurred during the current financial year 2019-20 on the approved items as annexure enclosed. The details of the funds are given as under:

Particulars	Amount (in Rs. )		
	Capital	Revenue	Total
Total fund allocated under "Library Strengthening " during the CFY 2019-20	3800000.00	0.00	3800000.00
Amount as First Instalment	0.00	0.00	0.00
Amount as Second Instalment	0.00	0.00	0.00
Amount as Third Instalment	0.00	0.00	0.00
Amount as Four Instalment	3800000.00	0.00	3800000.00
Total fund allocated during 2019-20			0.00
Total amount released so far (Sr. No. 1 )			3800000.00
Amount proposed to be released as First Instalment			516781.00
Unspent as per AUC 2018-19			0.00
Unspent as per AUC 2018-19 already adjusted in 2019-20			0.00
Difference, if any, to be refunded/adjusted			516781.00
Net amount to be released as First Instalment			3283219.00

This entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head (as per annexure) subject to the final settlement in due course on the basis of the audit utilization certificate of statutory auditors furnished by the university. In no case the expenditure be incurred on any item not approved by the ICAR.

CoA, Sehore    CoA, Mandla    Dean    Dean    Dean    Dean  
CoA, Gwalior    CoA, Indore    CoA, Kanpur

Verified  
Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्  
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH  
कृषि अनुसंधान भवन -II, पूसा, नई दिल्ली - 110 012  
Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi - 110 012

Phone : 011-25041760  
Fax : 011-24043932  
E-mail : ddgedn@gmail.com  
Website: www.icar.org.in

I.S. RATHORE

Director General (Agricultural Education)

Dated the 31<sup>st</sup> July, 2019

F.No. Agril.Edn./4-50/2017-EP&MS

The Vice Chancellor  
Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalyaya  
Gwalior  
Madhya Pradesh

Subject:- Release of grant under sub component "Strengthening and Development of AUs (Development Grant)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2019-20 - Release of First Instalment - reg.

Sir,

I am pleased to convey the sanction of Rs. 21000000.00 approved by Secretary, DARE & DG, ICAR under sub component "Strengthening & Development of AUs (Development Grant)" of Plan scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year on the approved items as per list enclosed. The balance fund is adjustable in the next financial year of the final allocation to the University as to be made by the Government of India/Indian Council of Agricultural Research. The details of the funds are given in Table - I given as under:

Table - I

S. No.	Particulars Financial Year - 2019-20	Amount in Rs.		Total
		Capital	General	
1	Fund allocated	19000000.00	2000000.00	21000000.00
2	Unspent amount (as per UC/AUC 2018-19) submitted by the university			138065.00
3	Net Amount to be released as First Instalment			20861935.00

The entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head subject to the final settlement in due course on the basis of the audit certificate of statutory auditors furnished by the university. In no case the expenditure should be incurred on the items not approved by the ICAR.

on 13.8.19  
Dean  
CoA, Sehore

Dean  
CoA, Mandasaur

Dean  
CoA, Gwalior

Dean  
CoA, Indore

Dean  
CoA, Khandwa

Verified  
Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior





भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्  
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH  
कृषि अनुसंधान भवन -II, पूसा, नई दिल्ली - 110 012  
Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi - 110 012

पी.एस. पांडेय  
P. S. PANDEY  
प्रमुख महानिदेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृह विज्ञान)  
Jt. Director General (Education Planning & Home Science)

Phone : 011-25841559  
email : [adgeo@icar.org.in](mailto:adgeo@icar.org.in)  
Website : [www.icar.org.in](http://www.icar.org.in)

Release Second Instalment under SC-SP  
F.No. Agril.Edn./21-50/2017-EP&HS  
Dated: 05--November--2019

17 January 2020

To  
The Vice Chancellor  
Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya  
Gwalior, Madhya Pradesh

Subject:- Release of grant under sub component "Scheduled Caste - Sub Plan (SC-SP)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2019-20 - reg.

Sir,  
The approval and sanction of the Council is hereby conveyed amounting to Rs.2875000.00 approved by Secretary, DARE & DG, ICAR under sub component "Scheduled Caste - Sub Plan (SC-SP)" of Agricultural Education Division, ICAR EFC scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year 2019-20 on the approved items as per list enclosed. The details of the funds allocated under Scheduled Caste- Sub Plan (SC-SP) are given in Table - I given as under:

Table - I

Sl. No.	Particulars	Amount (in Rs.)		
		GIA-Capital	GIA-General	Total
Total fund allocated under "Scheduled Cast Sub Plan " during the CFY 2019-20				
1.	Amount as First Instalment	4329750.00	4295250.00	8625000.00
2.	Amount as Second Instalment	1443250.00	1431750.00	2875000.00
3.	Amount as Third Instalment	0.00	0.00	0.00
4.	Amount as Four Instalment	0.00	0.00	0.00
5.	Total fund allocated during 2019-20	5773000.00	5727000	11500000.00
6.	Total amount released so far (Sr. No. 1 )			8625000.00
7.	Amount proposed to be released as Second Instalment 2019-20			2875000.00
8.	Unspent as per UC 2018-19 (already adjusted)			2194509.00
9.	Unspent as per AUC 2018-19 to be adjusted in 2019-20			2194509.00
10.	Difference, if any, to be refunded/ adjusted (Sr. No. 8 - Sr. No. 9)			0.00
11.	Net amount to be released as Second Instalment 2019-20 as per Sr. No. 2			2875000.00

Verified  
Comptroller  
R.V.S.K.V.V. Gwalior

Dean CoA, Sehore    Dean CoA, Mandasaur    Dean CoA, Gwalior    Dean CoA, Indore    Dean CoA, Khandwa





Urgent- कृषि विभाग प्रमुख महोदय

4053  
21/10/19

21/10/2019

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद  
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH  
कृषि अनुसंधान भवन -II, पूना, नई दिल्ली - 110 012  
Krishi Anusandhan Bhawan-II, Puna, New Delhi - 110 012

डॉ. पी.एस. पांडेय

Dr. P.S. PANDEY

सहायक महानिदेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृह विज्ञान)  
Asstt. Director General (Education Planning & Home Science)

Phone : 011-25841559

edsephs@gmail.com

Website : www.icar.org.in

Release First Instalment under SC-SP

F.No. Agril.Edn./21-50/2017-EP&HS

Dated: 18-Sep-2019

To

The Vice Chancellor  
Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi Vishwa Vidyalaya  
Gwalior, Madhya Pradesh

Subject:- Release of grant under sub component "Scheduled Caste - Sub Plan (SC-SP)" under the Agricultural Education Division Plan Scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" during the year 2019-20 - reg.

Sir,

The approval and sanction of the Council is hereby conveyed amounting to Rs.8625000.00 approved by Secretary, DARE & DG, ICAR under sub component "Scheduled Caste - Sub Plan (SC-SP)" of Agricultural Education Division, ICAR EFC scheme "Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India" for meeting the expenditure to be incurred during the current financial year 2019-20 on the approved items as per list enclosed. The details of the funds allocated under Scheduled Caste- Sub Plan (SC-SP) are given in Table - I given as under:

Table - I

S. No.	Particulars	Amount (in Rs.)		
		GIA-Capital	GIA-General	Total
Total fund allocated under "Scheduled Cast Sub Plan" during the CFY 2019-20				
1.	Amount as First Instalment	4329750.00	4295250.00	8625000.00
2.	Amount as Second Instalment	0.00	0.00	0.00
3.	Amount as Third Instalment	0.00	0.00	0.00
4.	Amount as Four Instalment	0.00	0.00	0.00
5.	Total fund allocated during 2019-20	4329750.00	4295250.00	8625000.00
6.	Total amount released so far (Sr. No. 1 )			
7.	Amount proposed to be released as First Instalment			8625000.00
8.	Unspent as per UC/AUC 2018-19			2194509.00
9.	Unspent as per UC/AUC 2018-19 already adjusted in 2019-20			0.00
10.	Difference, if any, to be refunded/adjusted			0.00
11.	Net amount to be released as First Instalment			8625000.00

21/10/19

Dean  
CoA, Sehore

Dean  
CoA, Mandasaur

Dean  
CoA, Gwalior

Dean  
CoA, Indore

Dean  
CoA, Khandwa

Verified

Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior





Development Grant 2018-19 Total Allotment - 1,41,71,000


S.No.	Head	Allotment/Rel.	Expenditure	Balance
1.	D.F.A., R.V.S.K.V.V., Gwalior	1,97,3000	1,97,3000	0.00
2.	E.E., R.V.S.K.V.V., Gwalior	12,00,000	12,00,000	0.00
3.	D.I., R.V.S.K.V.V., Gwalior	3,98,000	2,79,447	1,18,553
4.	College of Agriculture, Gwalior	13,50,000	13,31,341	18,659
5.	College of Agriculture, Sehore	23,50,000	23,50,000	0.00
6.	College of Agriculture, Indore	23,50,000	23,48,164	1,836
7.	College of Agriculture, Khandwa	23,50,000	23,50,000	0.00
8.	College of Horticulture, Mandsaur	22,00,000	21,99,991	9.00
Total		1,41,71,000	1,40,31,943	1,39,057


SC-SP under Development Grant 2018-19 Allotment ₹1,35,00,000


S.No.	Head	Allotment/Rel.	Expenditure	Balance
1.	D.F.A., R.V.S.K.V.V., Gwalior	30,00,000	29,43,162	56,838
2.	E.E., R.V.S.K.V.V., Gwalior	25,00,000	25,00,000	0.00
3.	College of Agriculture, Gwalior	16,00,000	10,62,749	5,37,251
4.	College of Agriculture, Sehore	16,00,000	16,00,000	0.00
5.	College of Agriculture, Indore	16,00,000	16,00,000	0.00
6.	College of Agriculture, Khandwa	16,00,000	15,99,580	420
7.	College of Horticulture, Mandsaur	16,00,000	0.00	16,00,000
Total		1,35,00,000	1,13,05,491	21,94,509

 Dean  
 CoA, Sehore

 Dean  
 CoA, Mandsaur

 Dean  
 CoA, Gwalior

 Dean  
 CoA, Indore


 Dean  
 CoA, Khandwa

**EXERCISED**





भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्  
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH  
कृषि अनुसंधान भवन-II, नई दिल्ली 110012  
Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi - 110 012



डॉ. पी. एस. पांडेय  
Dr. P. S. PANDEY  
सहायक महानिदेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृह विज्ञान)  
Asstt. Director General (Education Planning & Home Science)

Phone : 011-25841559  
Fax : 011-24841559  
Email : adgphs@gmail.com  
Website : www.icar.org.in

File No. 9-43/2017-EP&HS

Dated: 12.09.2017

To,  
The Vice Chancellor  
Rajmata Vijayaraje Sciendia Krishi Vishwa Vidyalaya,  
Gwalior-474 002 (M.P)

Subject: Release of funds for the F.Y. 2017-18 under Library Strengthening to Rajmata Vijayaraje Sciendia Krishi Vishwa Vidyalaya, Gwalior-474 002 (M.P)

Sir,

The sanction of the Competent Authority of the Council is hereby conveyed for Rs. 31.00 lakh (Rupees Thirty one lakh only) for CFY 2017-18 under the component Library Strengthening of the plan scheme Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India to RYSKVV, Gwalior (M.P). The details are as given below:

S. No.	Head	Release	Unspent amount (2016-17)	Net amount to be released
1.	Capital	21.00	0.00	21.00
2.	Revenue	10.00	0.00	10.00
3.	Total	31.00	0.00	31.00

1. This entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head (as per annexure- I) subject to the final settlement in due course on the basis of the audit certificate of statutory auditors furnished by the university.
2. In no case the expenditure be incurred on the items not approved by the ICAR.
3. Layout plan and estimate of the any civil works (including extension if any, to existing civil work) including their design and estimate in particular, for which grant has been released shall be got approved from the ICAR.
4. In addition, the approval of ICAR is required for the civil work of repair/renovation amount exceeding Rs. 10.00 lakhs per single work and approval of ICAR is must for purchase of equipments exceeding Rs. 5.00 lakhs. Out of capital funds, no expenditure will be incurred

Verified  
Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

Recd on  
27.9.17  
Dean  
CoA, Sehore

Comptroller / D I  
S. K. Sharma  
Dean  
CoA, Mandasaur

Dean  
CoA, Gwalior

Dean  
CoA, Indore

Dean  
CoA, Khandwa

Dno/Vc/18-2570  
08/11/17





भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्  
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH  
कृषि अनुसंधान भवन-II, नई दिल्ली 110012  
Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi - 110 012

डॉ. पी. एस. पांडेय  
Dr. P. S. PANDEY  
सहायक महानिदेशक (शिक्षा नियोजन एवं गृह विज्ञान)  
Asstt. Director General (Education Planning & Home Science)

Phone : 011-25841559  
Fax : 011-24841559  
Email : edgephs@gmail.com  
Website : www.icar.org.in

File No. 9-43/2017-EP&HS  
Dated: 19.02.2018

To  
The Vice Chancellor  
Rajmata Vijayaraje Sciendia Krishi Vishwa Vidyalaya,  
Gwalior-474 002 (M.P.)

Subject: Release of funds for the F.Y. 2017-18 (2<sup>nd</sup> installment) under Library Strengthening to Rajmata Vijayaraje Sciendia Krishi Vishwa Vidyalaya, Gwalior-474 002 (M.P.)

Sir,

The sanction of the Competent Authority of the Council is hereby conveyed for Rs. 39.00 lakh (Rupees Thirty nine lakh only) for CFY 2017-18 (2<sup>nd</sup> installment) under the component Library Strengthening of the plan scheme Strengthening and Development of Higher Agricultural Education in India to RYSKVV, Gwalior (M.P.). The details are as given below:

(Rs. in lakh)				
S. No.	Head	Release	Unspent amount (2016-17)	Net amount to be released
1.	Capital	23.00	0.00	23.00
2.	Revenue	16.00	0.00	16.00
3.	Total	39.00	0.00*	39.00

\*Already adjusted in 1<sup>st</sup> installment

1. This entire grant-in-aid is governed by the schedule of terms and conditions governing such grants from the ICAR. The expenditure on the approved items under the scheme may be restricted to the amount sanctioned under each head (as per annexure- I) subject to the final settlement in due course on the basis of the audit certificate of statutory auditors furnished by the university.
2. In no case the expenditure be incurred on the items not approved by the ICAR.
3. Layout plan and estimate of the any civil works (including extension if any, to existing civil work) including their design and estimate in particular, for which grant has been released shall be got approved from the ICAR.
4. In addition, the approval of ICAR is required for the civil work of repair/renovation amount exceeding Rs. 10.00 lakhs per single work and approval of ICAR is must for purchase of equipments exceeding Rs. 5.00 lakhs. Out of capital funds, no expenditure will be incurred on items of recurring nature in any case. Non-compliance of the instruction of the Council will be viewed seriously and entire amount incurred will be treated as disallowed.

24/2/2018  
Verified  
Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior  
Dno/17-18/3795  
22/02/18  
Dean  
Dean  
Dean  
Dean  
Dean  
CoA, Senore  
CoA, Mandla  
CoA, Gwalior  
CoA, Indore  
CoA, Khandwa





कार्यालय लेखा नियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय  
राजा पंचमसिंह मार्ग, आकाशवाणी के पास, ग्वालियर - 474002 (म.प्र.)

फोन नं. 0751-2970515 (0) 0751-2970516 (फैक्स)  
E-mail- comptroller.rvskvv12@gmail.com

क्रमांक/ले.नि./2023-24/2511

ग्वालियर : 26/12/2023

**आदेश**

अधिष्ठाता, उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर को निदेशक अनुसंधान सेवायें रा.वि.सिं.कृ.वि.वि. ग्वालियर द्वारा की गई अनुशंसा के क्रम में परियोजना "सब्जी फसलों के हाइब्रिड बीज उत्पादन के लिये उन्नत केन्द्र" हेतु वर्ष 2023-24 के लिये परियोजना की कुल राशि रु. 416.00 लाख की 90 प्रतिशत राशि रु. 374.94 लाख में से प्रथम किस्त के रूप में राशि रु. 112.00 लाख (एक करोड़ बारह लाख) मात्र का निम्नलिखित शर्तों के अधीन बजट आवंटन किया जाता है।

- 1.) सामग्री क्रय करते समय नियमानुसार विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जावे, विश्वविद्यालय/म.प्र. शासन वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार पत्र क्रमांक/एफ-6-14/2012/अ-ग्यारह दिनांक 28.07.2015 तथा म.प्र. भण्डार क्रय नियमों के प्रावधानों व समय समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- 2.) विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक/ले.नि./2018-19/177 दिनांक 12.04.2018 से भंडार सामग्री क्रय किये जाने के संबंध में जारी किये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे। तथा राशि व्यय करते समय नियमानुसार वित्तीय नियमों के परिपेक्ष्य में वित्तीय अनुशासन एवं वित्तीय औचित्य के मानक सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित किया जावे।
- 3.) राशि व्यय करते समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्/भारत सरकार कृषि मंत्रालय/परियोजना संचालनालय द्वारा परियोजना से संबंधित जारी किये गये दिशा-निर्देशों तथा निर्धारित की गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जावे।
- 4.) GEM पोर्टल से क्रय में मध्यप्रदेश भंडार क्रय नियम 2015 के प्रावधानों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- 5.) राशि व्यय करते समय योजना से संबंधित जारी किये गये दिशा निर्देशों तथा निर्धारित की गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जावे।
- 6.) वर्क्स से संबंधित कार्य विश्वविद्यालय के कार्यपालन यंत्री/उपयंत्री के माध्यम/सहयोग से नियमानुसार सम्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- 7.) उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र अतिशीघ्र इस कार्यालय को भेजें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि राशि जिस कार्य हेतु आवंटित की गई है। उसका उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया गया है।

उक्त व्यय बजट शीर्ष "सब्जी फसलों के हाइब्रिड बीज उत्पादन के लिये उन्नत केन्द्र" उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर वर्ष 2023-24 के अंतर्गत विकलनीय होगा।

माननीय कुलपतिजी के आदेशानुसार

क्रमांक/ले.नि./2023-24/2512  
प्रतिलिपि:-

- 1.) निदेशक अनुसंधान सेवायें, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
- 2.) अधिष्ठाता, उद्यानिकी महाविद्यालय मंदसौर।
- 3.) शाखा अधिकारी, वित्त/रिलीज, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।
- 4.) माननीय कुलपतिजी के निजसचिव, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर।

(लेखा नियंत्रक)  
ग्वालियर : 26/12/2023

Verified

Dean  
CoA, Sehore

Dean  
CoH, Mandsaur

Dean  
CoA, Gwalior

Dean  
CoA, Indore

Dean  
CoA, Khandwa

CoA, Sehore CoH, Mandsaur CoA, Gwalior CoA, Indore CoA, Khandwa

Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior



Year	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	Total
	369.01	149.69	46.70	0.00	93.00	658.40

KVK works (Archieve) *Fig in lack*

**VERIFIED**

*[Signature]*  
Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

*[Signature]*  
Dean  
CoA, Sehore

*[Signature]*  
Dean  
CoA, Mandla

*[Signature]*  
Dean  
CoA, Gwalior

*[Signature]*  
Dean  
CoA, Indore

*[Signature]*  
Dean  
CoA, Khandsa

*[Signature]*  
Dy. Director  
Local Fund Audit Gwalior  
Camp-RAD RVSKV Gwl.  
Auditee



Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

15/11/2024

10/01/2025



**Deoria**

Rs. In lakhs

S.N.	Name of the ZPD/KVKs	RE 2023-24	Pay & Allow.	TA	HRD	Cont.		Recurring Contingency										Non-Recurring Contingency				Total	
						Other then TSP	TSP	Soft & Water Testing Lab.	Integrated Farming System	Specialized KVK	Technology Information Unit	For strengthening net farms	Rev. Fund	Total Gen.	Equip./Furn./Farm Impl.	Works	Libr.	Vehicle	Total Cap.				
23	Il. KVK RVSKVV	BE 2023-24	126.01	1.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.01
23	Ashoknagar	BE 2023-24	121.23	0.80	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.53
24	Badkanti (TSP>50%)	BE 2023-24	190.64	1.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.64
25	Bhind	BE 2023-24	92.61	1.50	0.00	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.61
26	Datta	BE 2023-24	235.94	1.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.84
27	Dewas	BE 2023-24	198.68	1.20	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.28
28	Dhar (TSP>50%)	BE 2023-24	239.65	1.50	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.05
29	Guna	BE 2023-24	227.96	1.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.86
30	Gwalior	BE 2023-24	251.54	1.20	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278.64
31	Jhabua (TSP>50%)	BE 2023-24	242.55	1.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.45
32	Khandwa (TSP>25 & 50%)	BE 2023-24	138.59	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.79
33	Khangone (TSP>25 & 50%)	BE 2023-24	101.93	1.25	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.30
34	Mandsaur	BE 2023-24	284.15	1.50	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.90
35	Morena	BE 2023-24	118.97	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.27
36	Neemuch	BE 2023-24	199.28	0.75	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.03
37	Rajgarh	BE 2023-24	157.30	1.50	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.50
38	Shajapur	BE 2023-24	79.41	1.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.41
39	Sheopur	BE 2023-24	264.68	1.20	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.88
40	Shivpuri	BE 2023-24	268.02	0.80	0.00	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.22
41	Ujjain	BE 2023-24	150.25	1.20	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.05
42	Altraipur (TSP>50%)	BE 2023-24	140.76	0.60	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.92
43	Agarmaha	BE 2023-24	168.67	1.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.57
44	Dhar-2 (TSP>50%)	BE 2023-24	157.98	1.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.98
	ATIC RVSKVV	BE 2023-24	3752.51	26.70	0.00	332.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4464.01
	Total RVSKVV	BE 2023-24	3496.55	25.15	1.80	255.45	93.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.90	148.05	93.00	0.00	0.00	0.00	4122.50

Dean  
CoA, Sehore

Dean  
CoA, Mandasaur

Dean  
CoA, Gwalior

Dean  
CoA, Indore

Dean  
CoA, Khandwa



**Rajmata Vijayaraje Scindia Krishi VishwaVidyalaya, Gwalior**  
//Order//

Date: 31/03/2023

J:\comptbud\Allot\2022-23\36V3  
 (सुपर) विभाग के निम्नलिखित व्यय के अंतर्गत आने वाले धन का विवरण के-एच-1 रू. में 2022-23 के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

S. No.	Name of the KVK's	Pay & Allow	TA	HRD	Contn.		Recurring Contingency					Non-Recurring Contingency				Works	Lib.	Vehicle (JEEP)	Grand Total
					Other than TSP	TSP	Soil & Water Testing Lab.	Integrated Farming System	Specialized KVK	Technology Information	For Strengthening net	e-Farmers	Rev. Fund	Office equipments-IT	Farm implement/ Tractor with implements				
1	Ashoknagar	138,230	1.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,830
2	Budwani (TSP)	98,710	1.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,310
3	Bhind	245,560	0.80	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,560
4	Datta	215,180	1.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,530
5	Davars	248,270	0.70	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,570
6	Dhar (TSP)	115,010	1.10	0.00	1.50	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,410
7	Gana	127,760	1.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,560
8	Gwalior	263,095	1.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,095
9	Jhabua (TSP)	119,530	1.50	0.00	2.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,530
10	Khandwa	167,730	1.10	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,530
11	Khandwa	137,770	1.30	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,470
12	Khandasur	67,150	0.50	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,250
13	Kotera	271,000	1.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,000
14	Neemuch	139,190	1.05	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,840
15	Rajpatti	174,370	1.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,370
16	Shajapur	136,740	1.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,740
17	Sheopur	111,520	1.25	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,370
18	Sheopur	200,770	1.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,770
19	Ujjain	226,780	1.80	0.00	2.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,190
20	Altraipur	41,930	1.30	0.00	2.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,230
21	Agarwaha	77,520	1.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,180
22	Dhar II	101,790	1.00	0.00	0.50	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,290
Total (A) RVS/KV		3424,715	23.45	0.00	198.56	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000
DES RVS/KV		0.000	1.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
ATCS, Gwalior		0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
Total (B) RVS/KV		0.000	1.00	1.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000
Grand Total		3424,715	24.450	1.000	203.560	65.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3001,525

नोट:- शर्तों के अंतर्गत धन का अंतर 7 व. नं. के तहत, आवक से 2022-23 के लिए प्राप्त धन के अंतर ही धन का अंतर है।

Date: 31/03/2023

No./comptbud/Allot/2022-23/ 36V3  
 1) The Director Extension Services, RVS/KV, Gwalior  
 2) All KV, RVS/KV Gwalior.....  
 3) PS To Hon'ble V.C., RVS/KV Gwalior  
 4) The Release Section officer, RVS/KV Gwalior

COMPTROLLER

**Verified**  
**Comptroller**  
 RVS/KV, Gwalior

Dean Ashoknagar  
 Dean Budwani  
 Dean Bind  
 Dean Datta  
 Dean Davars  
 Dean Dhar  
 Dean Gana  
 Dean Gwalior  
 Dean Jhabua  
 Dean Khandwa  
 Dean Khandasur  
 Dean Kotera  
 Dean Neemuch  
 Dean Rajpatti  
 Dean Sheopur  
 Dean Sheopur  
 Dean Ujjain  
 Dean Altraipur  
 Dean Agarwaha  
 Dean Dhar II







S. No.	Name of the ZPD/KVKs	Pay & Allow.	TA	HRD	Recurring Contingency										Non-Recurring Contingency					Grand Total							
					Cont. TSP	Soil & Water Testing Lab.	Integrated Farming	Specialized KVK	Technology Information	For strengthening	e-Farmers	Rev. Fund	Total Gen.	Equip./ Furnil. Farm Impl.	Works	Libr.	Vehicle	Total Cap.									
23	KVK RVSKVV Ashoknagar	BE 2021-22 85.00	1.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.25	
24	Badwan (TSP>50%)	BE 2021-22 80.00	0.25	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
25	Bhind	BE 2021-22 100.00	1.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103.00
26	Datta	BE 2021-22 90.00	0.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00
27	Dewas	BE 2021-22 150.00	1.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.85
28	Dhar (TSP>50%)	BE 2021-22 150.00	1.00	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00
29	Guna	BE 2021-22 135.00	1.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00
30	Gwalior	BE 2021-22 125.00	0.35	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.85
31	Jhabua (TSP>50%)	BE 2021-22 95.00	0.25	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.75
32	Khandwa (TSP>25 & 50%)	BE 2021-22 120.00	1.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00
33	Khandwa (TSP>25 & 50%)	BE 2021-22 121.00	0.50	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00
34	Mandsaur	BE 2021-22 105.00	1.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00
35	Morena	BE 2021-22 180.00	1.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193.00
36	Neemuch	BE 2021-22 100.00	1.00	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
37	Rajgarh	BE 2021-22 95.00	0.25	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.15
38	Shajapur	BE 2021-22 160.00	1.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00
39	Sheopur	BE 2021-22 120.00	0.50	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00
40	Shivpur	BE 2021-22 98.00	1.00	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.05
41	Ujjain	BE 2021-22 100.00	1.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00
42	Airajpur (TSP>50%)	BE 2021-22 100.00	0.50	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.23
43	Agarnawa	BE 2021-22 95.00	0.25	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.38
44	Dhar-2 (TSP>50%)	BE 2021-22 100.00	1.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00
	DES RVSKVV	BE 2021-22 95.00	0.65	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00
	ATTC RVSKVV	BE 2021-22 95.00	0.65	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00
	Total RVSKVV	BE 2021-22 2265.00	23.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2596.70
		RE 2021-22 2399.45	11.40	1.00	214.05	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283.95

Comptroller  
Gwalior

Dean CoA, Sehore      Dean CoA, Mandsaur      Dean CoA, Gwalior      Dean CoA, Indore      Dean CoA, Khandwa







Order No. A.F./2019-20/6326-6327  
 2019-20  
 30/3/2020

BE & RE 2019-20 : ATARI, JABALPUR (13.03.2020)

Rs. In lakhs

S. No.	Name of the ZP/DK/VK	Pay & Allow.	TA	HRD	Cont. Other than TSP	TSP	Recurring Contingency						Total	Non-Recurring Contingency			Grand Total
							Soil & Water Testing Lab.	Integrated Farming System	Specialized KVK	Techno-ology Inform net	For strength Farming	Rev. Fund		Equipm./Furni./Impl.	Wkts.	Lib.	
23	KVK RVSKV	90.00	1.00	0.00	9.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
24	Barwani (TSP>50%)	70.00	1.30	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	1.00	0.00	0.00	1.00	83.80
25	Bhind	63.00	1.00	0.00	3.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	1.00	78.00
26	Gamma	70.00	0.75	0.00	1.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.75	1.00	0.00	0.00	1.00	80.75
27	Dewas	100.00	1.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	110.75
28	Dhar (TSP>50%)	75.00	1.20	0.00	3.32	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.52	1.00	0.00	0.00	1.00	102.52
29	Guna	70.00	0.75	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	85.75
30	Gwalior	128.00	1.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00	148.75
31	Jhabua (TSP>50%)	134.00	1.25	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	1.00	0.00	0.00	1.00	165.00
32	Khandwa (TSP>25 & 50%)	90.00	1.25	0.00	4.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.25	1.00	0.00	0.00	1.00	118.75
33	Krupane (TSP>25 & 50%)	70.00	1.10	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.25
34	Mandsaur	81.75	1.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	94.00
35	Morwa	117.00	1.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	134.10
36	Nerunch	100.40	1.25	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	125.65
37	Rajgarh	75.00	1.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00
38	Shajapur	55.00	1.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	63.31
39	Sisopur	63.00	1.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
40	Shivpuri	73.50	1.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.50
41	Ujjain	120.00	1.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	145.25
42	AgarMalwa	12.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
43	Alirajpur (TSP>50%)	18.00	1.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00
44	Dhar-2 (TSP>50%)	13.00	0.81	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00	0.00	13.81
	DES RVSKV	21.00	-0.81	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.81	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	ATC RVSKV	1844.00	0.00	0.00	167.50	48.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239.00	21.00	0.00	0.00	0.00	2104.00
	Total RVSKV	1634.25	24.24	1.50	205.94	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.46	21.95	0.00	0.00	0.00	3191.94

Verified

Comptroller  
 R.V.S.K.V.V., Gwalior

Director  
 R.V.S.K.V.V., Gwalior  
 Comptroller  
 R.V.S.K.V.V., Gwalior  
 Dean  
 CoA, Indore  
 Dean  
 CoA, Jabalpur  
 Dean  
 CoA, Gwalior  
 Dean  
 CoA, Mandasaur  
 Dean  
 CoA, Senior  
 I/c  
 A/Examian



**Verified**  
**Comptroller**  
**R.V.S.K.V.V., Gwalior**

BE & RE 2019-20 : ATARI, JABALPUR (31.03.2020)

Rs. In Lakhs

S. No.	Name of the ZP/IKV/KSV	Pay & Allow.	TA	HRD	Cont.		Recurring Contingency										Non-Recurring Contingency			Grand Total	
					Other TSP	TSP	Soil & Water Testing Lab.	Integrated Farming System	Specialized KVK	Technology Inform net	For strength Farm rs	Rev. Fund	Total	Equip/ Furnil Farm Impl.	Works	Lib.	Vehicle	Total			
23	KVK RVSKV	90.00	1.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
24	Asthanagar	1.30	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80
25	Bhind	63.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
26	Daha	70.00	0.75	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.75
27	Daha	70.00	0.75	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.75
28	Daha	71.00	1.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.75
29	Gwalior	70.00	0.75	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.75
30	Gwalior	128.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00
31	Jhabua (TSP-50%)	90.00	1.25	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
32	Sherpur (TSP-25 & 50%)	90.00	1.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00
33	Kargone (TSP-25 & 50%)	70.00	1.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00
34	Mandsaur	75.00	1.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00
35	Morwa	117.00	1.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.00
36	Morwa	112.00	1.25	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.25
37	Narsimha	95.00	1.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00
38	Narsimha	102.00	1.25	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.25
39	Shajapur	55.00	0.81	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.51
40	Shajapur	48.00	1.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00
41	Shajapur	70.00	1.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
42	Shajapur	120.00	1.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.00
43	Shajapur (TSP-50%)	12.00	1.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.25
44	Shajapur (TSP-50%)	18.00	0.81	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.25
	DES RVSKV	0.00	1.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
	ATIK RVSKV	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
	Total RVSKV	1644.00	22.50	1.00	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1814.00
		1634.45	24.44	1.00	205.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1839.95

Dean  
 Dean  
 Dean  
 Dean  
 Dean

CoA, Sehore  
 CoA, Mandla  
 CoA, Gwalior  
 CoA, Indore  
 CoA, Khandwa

I/c. AFandAO

Director



Mandi Board

Receipt

Fig in Rs.

Project	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	G Total
Project Biotechnology lab	621.83	699.34	351.41	0.00	0.00	1672.58
Agriculture Business Management Project	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Auditorium & Sangoshi Hall	428.26	588.00	0.00	44.70	0.00	1060.96
Jaiv Proudhyogik Kendra Bhandar	0.00	288.53	443.65	32.39	0.00	764.55
Sabji fasalo ke Hybrid Beej Utpadan ke liye Umat Kendra	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	112.00
Tissue Culture Aadharit Aaloo beej Utpadan	0.00	0.00	0.00	0.00	196.88	196.88
	1050.09	1575.87	795.04	77.09	308.88	3806.97

DL

**Dy. Director**  
Local Fund Audit Gwalior  
Camp-RAD RVSKVV Gwl.

**Comptroller**  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

**Comptroller**  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

**Verified**  
**Comptroller**  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

Dean  
CoA, Sehore

Dean  
CoA, Mandasaur

Dean  
CoA, Gwalior

Dean  
CoA, Indore

Dean  
CoA, Khajuraho

2024.05.21  
R.V.S.K.V.V. Gwalior



Expenditure						
Project	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	G Total
Project Biotechnology lab	55183415.00	52507594.00	61475191.00	0.00	0.00	169166200.00
Agriculture Business Management Project	3351816.00	3281180.00	912419.00	3741967.00	0.00	11287382.00
Auditorium & Sangoshti Hall	38225784.00	57483450.00	8754395.00	4566174.00	0.00	109029803.00
Jaiy Proudhyogik Kendra Bhandar	0.00	13393904.00	67619169.00	3239082.00	0.00	84252155.00
Sabji fasalo ke Hybrid Beej Utpadan ke Iye Unnat Kendra	0.00	0.00	0.00	0.00	11200000.00	11200000.00
Tissue Culture Aadharit Aaloo beej Utpadan	0.00	0.00	0.00	0.00	4310000.00	4310000.00
	96761015.00	126666128.00	138761174.00	11547223.00	15510000.00	389245540.00

**VERIFIED**

Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

Dy. Director  
Local Fund Audit Gwalior  
Camp-RAD RVSKVV Gwl.  
Auditors

Dean  
CoA, Sehore

Dean  
CoH, Mandasaur

Dean  
CoA, Gwalior

Dean  
CoA, Indore

Dean  
CoA, Khandwa

**Verified**  
Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior



# Adhosarachna ka Punaruddhar thha prastavit naven niraman karya

Project Name	Sanction Amount	Receipt			Expenditure			Balance Amount
		Letter No.	Amount	D.D. No.	10% V.V. Share	To	Cq. No. /Date	
A/C NO. 21160110035108	1774.12				177.41			
	1774.12		0.00		177.41			0.00

 Dean, Sehore  
 Dean, Mandasaur  
 Dean, Gwalior  
 Dean, Indore  
 Dean, Khairatabad











**Verified**

**Comptroller**  
R.V.S.K.V.V., Gwalior



# Sabji fasalo ke Hybrid Beei Utpadan ke liye Umat Kendra

Project Name	Sanction Amount	Receipt		10% V.V. Share	Expenditure		Balance Amount		
		Letter No.	Amount		D.D. No.	To		Cq. No./Date	Amount
A/C NO. 21160110035115	416.60		112.00		41.66	CoH Mandasaur	000001/12.03.2024	112000000.00	
	416.60		112.00		41.66			112000000.00	0.00

 Dean CoA, Khandwa	 Dean CoA, Indore	 Dean CoA, Gwalior	 Dean CoH, Mandasaur
 Dean CoA, Sejore	 Dean CoH, Mandasaur	 Dean CoA, Gwalior	 Dean CoA, Indore
 Dean CoA, Khandwa	 Dean CoA, Sejore		

**Verified**

**Comptroller**  
R.V.S.K.V.V., Gwalior



# Tissue Culture Adharit Aaloo beei Utpadan

Project Name	Sanction Amount	Receipt		10% V.V. Share	Expenditure		Balance Amount	
		Letter No.	Amount		D.D. No.	To		Cq. No. /Date
A/C NO. 21160110035092	929.22			92.92	DRS	000001/18.12.2023	2000000.00	
			196.88		02.11.2023	DRS	000002/18.12.2023	2000000.00
						CoA Indore	000003/19.02.2024	310000.00
	929.22		196.88	92.92		4310000.00	0.00	

Dean  
CoA, Sehore
Dean  
CoH, Mandasaur
Dean  
CoA, Gwalior
Dean  
CoA, Indore
Dean  
CoA, Khairndwa

**Verified**

**Comptroller**  
R.V.S.K.V.V., Gwalior



## Project Biotechnology lab

Project Name	Sanction Amount	Expenditure				Haed/Bill No.	
		Amount	D.D. No.	10% V.V.	Amount		
PROJECT BIOTECHNOLOGY LAB A/C NO.21160110015056	2430.00	5000000.00	Core Banking 20.03.2015	E E Gwallior	087921/08.02.2016	5000000.00	Advance Payment of Construction
		15000000.00	Core Banking 25.07.2016	E E Gwallior	087922/16.05.2016	3669795.00	1st Running Bill Construction
		30000000.00	Core Banking 29.10.2016	E E Gwallior	087923/23.06.2016	3949801.00	2nd Running Bill Construction
		55183000.00	Core Banking 15.04.2019	E E Gwallior	087925/24.10.2016	10816028.00	3rd Running Bill Construction
		7000000.00	Core Banking 03.06.2019	E E Gwallior	087926/26.12.2016	15665296.00	4th Running Bill Construction
		26764000.00	21.04.2020	E E Gwallior	087927/17.03.2017	14190841.00	5th Running Bill
		25744000.00	11.08.2020	E E Gwallior	087928/09.06.2017	14832844.00	6th Running Bill
		17426000.00	01.03.2021	E E Gwallior	087929/09.06.2017	2136681.00	2nd Running Bill Equipment
		35140742.00	08.12.2021	E E Gwallior	087930/13.10.2017	12024996.00	7th Running Bill
				E E Gwallior	आज्ञापना बंद से शुभान	14941375.00	8th Running Bill
				COA Gwallior	087934/16.05.2019	50474802.00	Equipment
				COA Gwallior	087935/19.02.2020 शुभान	4708613.00	Equipment
		COA Gwallior	087936/20.05.2020	26763681.00	Equipment		
		COA Gwallior	087937/14.12.2020	25743913.00	Equipment		
		COA Gwallior	087938/08.06.2021	17425191.00	Equipment		
		COA Gwallior	087939/28.12.2021	44050000.00	Equipment		
	2430.00				266393857.00		
	2430.00	217257742.00					

Dean  
COA, Senore

Dean  
COA, Mandson

Dean  
COA, Gwallior



Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwallior



# DPR

Project Name	Sanction Amount	Letter No.	Receipt		D.D. No.	10% V.V. Share	Expenditure		Balance Amount
			Amount				To	Cq. No./Date	
DPR A/CNO.21160110020760	611.00	1st	35000000.00		09.12.2016	6110000.00	EE, RVSKV	592741/05.05.2017	35000000.00
		2nd	17200000.00		22.06.2017		EE, RVSKV	592742/09.06.2017	17200000.00
		3rd	2766670.00		14.03.2018				
	611.00		54966670.00			6110000.00			52200000.00
									8876670.00

*[Signature]*  
Dean  
CoA, Sehore

*[Signature]*  
Dean  
CoH, Mandasaur

*[Signature]*  
Dean  
CoA, Gwalior

*[Signature]*  
Dean  
CoA, Indore

*[Signature]*  
Dean  
CoA, Khairatgarh


**Verified**


**Comptroller**  
R.V.S.K.V.V., Gwalior





# Auditorium & Sangosthi Hall


Project Name	Sanction Amount	Receipt		D.D. No.	10% V.V. Share	Expenditure		Balance Amount	
		Letter No.	Amount			To	Cq. No./Date		
AUDITORIUM & SANGOSTHI HALL A/CNO.21160110027950	1189.61		42826000.00	26.02.2020	11896000.00	EE, RVSKVV	000001/03.03.2020	38225784.00	
			352000000.00	11.09.2020		EE, RVSKVV	000002/12.06.2020	7465511.00	
			236000000.00	22.01.2021		EE, RVSKVV	000003/14.09.2020	19968929.00	
			4469798.00	17.05.2022		EE, RVSKVV	000004/14.10.2020	11615127.00	
						EE, RVSKVV	000005/12.11.2020	6813345.00	
						EE, RVSKVV	000006/17.12.2020	4592043.00	
						EE, RVSKVV	000007/24.02.2021	1062171.00	
						EE, RVSKVV	000008/24.03.2021	5966324.00	
						EE, RVSKVV	000009/06.10.2021	5115806.00	
						EE, RVSKVV	000010/09.12.2021	2630972.00	
					EE, RVSKVV	000011/29.12.2021	1007617.00		
					EE, RVSKVV	000012/16.06.2022	4566174.00		
			106095798.00		11896000.00			109029803.00	5833304.00

  
 Dean  
 CoA, Sehore
 

  
 Dean  
 CoA, Mandasaur
 

  
 Dean  
 CoA, Gwalior
 

  
 Dean  
 CoA, Indore
 

  
 Dean  
 CoA, Khairatgarh

**Verified**

**Comptroller**  
R.V.S.K.V.V., Gwalior



## JaiV Proudhyogik Kendra Bhandar

Project Name	Sanction Amount	Letter No.	Receipt		D.D. No.	10% V.V. Share	Expenditure		Balance Amount	
			Amount	D.D. No.			To	Cq. No./Date		Amount
JAI V PROUDHYOGIK KENDRA BHANDAR A/CNO. 21160110027967	925.00		13394000.00	24.06.2020		9250000.00	COA Gwalior	000001/21.08.2020	13393904.00	
			15459000.00	01.03.2021			COA Gwalior	000002/08.06.2021	15458666.00	
			44363000.00	13.09.2021			COA Gwalior	000003/14.10.2021	52160503.00	
			3239082.00	17.11.2022			COA Gwalior	000004/30.01.2023	3239082.00	
			76455082.00			9250000.00			84252155.00	9250096.00

*[Signature]*  
 Dean  
 CoA, Sehore

*[Signature]*  
 Dean  
 CoA, Mandasaur

*[Signature]*  
 Dean  
 CoA, Gwalior

*[Signature]*  
 Dean  
 CoA, Indore

*[Signature]*  
 Dean  
 CoA, Khairatgarh


**Verified**

**Comptroller**  
 R.V.S.K.V.V., Gwalior



# Renovation & extension of Agriculture College

Project Name	Sanction Amount	Receipt			10% V.V. Share	Expenditure			Balance Amount
		Letter No.	Amount	D.D. No.		To	Cq. No./Date	Amount	
RENOVATION & EXTENSION OF AGRICULTURE COLLEGE A/C NO. 21160110015476	1000.00	B-3/14/14/543 Dt. 25.05.2012	108.00	048018 Dt. 24.05.2012	E.E. Gwalior	774329/24.07.2012	452860.00		
		3/1/14/165/1009 Dt. 25.03.2015	100.00	Core Banking 20.03.2015	E.E. Gwalior	774330/09.10.2014	1678999.00		
		3/1/14/180/325 Dt. 25.05.2015	200.00	Core Banking 22.05.2015	E.E. Gwalior	774339/29.03.2014	6169311.00		
			300.00	28.12.2016	E.E. Gwalior	774340/30.03.2014	5824567.00		
			52.85	29.05.2017	E.E. Gwalior	774342/30.07.2014	1061782.00		
			123.13	27.06.2017	E.E. Gwalior	598834/31.03.2015	1467917.00		
					COA Gwalior	088061/09.07.2015	4616946.00	Equ	
					COA Gwalior	088062/02.01.2016	537655.00	Equ	
					E.E. Gwalior	088063/01.02.2016	5800000.00		
					E.E. Gwalior	088064/31.03.2016	865961.00	NBCC	
			E.E. Gwalior	088065/16.05.2016	2605852.00				
			COA Gwalior	088067/20.06.2016	2723087.00	Equ			
			E.E. Gwalior	088068/22.07.2016	6384760.00				
			E.E. Gwalior	088069/16.07.2017	351096.00				
			E.E. Gwalior	088070/16.01.2017	6913175.00				
			E.E. Gwalior	088071/16.01.2017	9117002.00				
			E.E. Gwalior	088072/16.01.2017	20159196.00				
			E.E. Gwalior	088273/31.03.2017	5247495.00				
	1000.00				100.00	81977661.00			



Dean  
 COA, Mandasaur  
 COA, Gwalior  
 COA, Indore


**Verified**

**Comptroller**  
 R.V.S.K.V.V., Gwalior



# Agriculture Business Management Project

Project Name	Sanction Amount	Receipt		10% V.V. Share	Expenditure		Balance Amount	
		Letter No.	Amount		D.D. No.	To		Cq. No./Date
AGRICULTURE BUSINESS MANAGEMENT A/CNO.21160110015858	252.00	1st	5800000.00	09.12.2016	EE, RVSKVV	594981/20.09.2017	9652686.00	
		2nd	8000000.00	22.06.2017	EE, RVSKVV	594982/13.11.2017	3714091.00	
		3rd	8000000.00	14.03.2018	EE, RVSKVV	594983/02.08.2018	857038.00	
					EE, RVSKVV	594984/02.08.2018	560535.00	
					EE, RVSKVV	594985/22.11.2019	3026098.00	
					EE, RVSKVV	594986/22.11.2019	325718.00	
					EE, RVSKVV	594987/14.12.2020	3281180.00	
					EE, RVSKVV	594989/24.09.2021	371784.00	
					EE, RVSKVV	594990/06.01.2022	540635.00	
					EE, RVSKVV	594991/28.04.2022	3242019.00	
				EE, RVSKVV	594992/15.07.2022	296216.00		
				DD/CC	594993/16.07.2022	203462.00		
	252.00		21800000.00			2520000.00	26071462.00	-1751462.00




Dean, CoA, Seelaha  
 Dean, CoA, Mandya  
 Dean, CoA, Gwalior  
 Dean, CoA, Indore  
 Dean, CoA, Khairatabad


**Verified**  
 Comptroller  
 R.V.S.K.V.V., Gwalior




# Project Sehore Road

Project Name	Sanction Amount	Receipt		D.D. No.	10% V.V. Share	Expenditure		Balance Amount
		Letter No.	Amount			To	Cq. No./Date	
SEHORE ROAD A/CNO.21160110 015513	119.31				11.93			
			48.00	Core Banking 13.08.2015	E.E. Bhopal	088081/12.01.16	4800000.00	
			35.77	Core Banking 16.04.2016	E.E. Bhopal	088083/12.01.16	3577000.00	
			22.59	15.05.2017	E.E. Bhopal	088085/03.07.17	2351000.00	
			119.31		11.93		11921000.00	0.00

  
 Dean  
 COA, Sehore
 

  
 Dean  
 COA, Mandla
 

  
 Dean  
 COA, Gwalior
 

  
 Dean  
 COA, Indore
 

  
 Dean  
 COA, Khairwa

**Verified**

**Comptroller**  
 R.V.S.K.V.V., Gwalior



## Project Biotechnology Lab

Project Name	Sanction Amount	Expenditure			V.V.	To		Cq. No./Date	Amount	Haed/Bill No.
		Amount	D.D. No.	10%						
PROJECT BIOTECHNOLOGY/LAB A/C NO.21160110015056	2430.00	5000000.00	Core Banking 20.03.2015		EE Gwalior		087921/08.02.2016	5000000.00	Advance Payment of Construction	
		15000000.00	Core Banking 25.07.2016		EE Gwalior		087922/16.05.2016	3669795.00	1st Running Bill Construction	
		30000000.00	Core Banking 29.10.2016		EE Gwalior		087923/23.06.2016	3949801.00	2nd Running Bill Construction	
		55183000.00	Core Banking 15.04.2019		EE Gwalior		087925/24.10.2016	10816028.00	3rd Running Bill Construction	
		7000000.00	Core Banking 03.06.2019		EE Gwalior		087926/26.12.2016	15665296.00	4th Running Bill Construction	
		26764000.00	Core Banking 21.04.2020	243.00	EE Gwalior		087927/17.03.2017	14190841.00	5th Running Bill	
		25744000.00	11.08.2020		EE Gwalior		087928/09.06.2017	14832844.00	6th Running Bill	
		17426000.00	01.03.2021		EE Gwalior		087929/09.06.2017	2136681.00	2nd Running Bill Equipment	
		35140742.00	08.12.2021		EE Gwalior		087930/13.10.2017	12024996.00	7th Running Bill	
					EE Gwalior		अज्ञात नर से प्राप्त	14941375.00	8th Running Bill	
			COA Gwalior		087934/16.05.2019	50474802.00	Equipment			
			COA Gwalior		087935/19.02.2020 प्राप्त	4708613.00	Equipment			
			COA Gwalior		087936/20.05.2020	26763681.00	Equipment			
			COA Gwalior		087937/14.12.2020	25743913.00	Equipment			
			COA Gwalior		087938/08.06.2021	17425191.00	Equipment			
			COA Gwalior		087939/28.12.2021	44050000.00	Equipment			
	2430.00	21725742.00		243.00			266393857.00			

 Dean  
 Dean  
 Dean  
 Dean  
 Dean  
 Comptroller  
**R.V.S.K.V.V., Gwalior**

**Verified**








## Auditorium & Sangosthi Hall

Project Name	Sanction Amount	Receipt		D.D. No.	10% V.V. Share	Expenditure		Balance Amount	
		Letter No.	Amount			To	Cq. No./Date		Amount
AUDITORIUM & SANGOSTHI HALL A/CNO.21160110027950	1189.61								
			42826000.00	26.02.2020	11896000.00	EE, RVSJKV	000001/03.03.2020	38225784.00	
			35200000.00	11.09.2020		EE, RVSJKV	000002/12.06.2020	7465511.00	
			23600000.00	22.01.2021		EE, RVSJKV	000003/14.09.2020	19968929.00	
			4469798.00	17.05.2022		EE, RVSJKV	000004/14.10.2020	11615127.00	
						EE, RVSJKV	000005/12.11.2020	6813345.00	
						EE, RVSJKV	000006/17.12.2020	4592043.00	
						EE, RVSJKV	000007/24.02.2021	1062171.00	
						EE, RVSJKV	000008/24.03.2021	5966324.00	
						EE, RVSJKV	000009/06.10.2021	5115806.00	
					EE, RVSJKV	000010/09.12.2021	2630972.00		
					EE, RVSJKV	000011/29.12.2021	1007617.00		
					EE, RVSJKV	000012/16.06.2022	4566174.00		
			106095798.00		11896000.00			109029803.00	5833304.00

## Jaiw Proudhyogik Kendra Bhandar

Project Name	Sanction Amount	Receipt		D.D. No.	10% V.V. Share	Expenditure		Balance Amount	
		Letter No.	Amount			To	Cq. No./Date		Amount
JAIW PROUDHYOGIK KENDRA BHANDAR A/CNO.21160110027967	925.00								
			13394000.00	24.06.2020	9250000.00	COA Gwalior	000001/21.08.2020	13393904.00	
			15459000.00	01.03.2021		COA Gwalior	000002/08.06.2021	15458666.00	
			44363000.00	13.09.2021		COA Gwalior	000003/14.10.2021	52160503.00	
			3239082.00	17.11.2022		COA Gwalior	000004/30.01.2023	3239082.00	
			76455082.00		9250000.00			84252155.00	9250096.00

 Dean  
 Dean  
 Dean  
 Dean  
 Dean  
 CoA, Sehore    CoH, Mandasaur    CoA, Gwalior    CoA, Indore    CoA, Khandwa



## Agriculture Business Management Project

Project Name	Sanction Amount	Receipt		D.D. No.	10% V.V. Share	Expenditure		Balance Amount
		Letter No.	Amount			To	Cq. No./Date	
AGRICULTURE BUSINESS MANAGEMENT A/CNO.21160110015858	252.00	1st	5800000.00	09.12.2016	2520000.00	EE, RVS/KV	594981/20.09.2017	9652686.00
		2nd	8000000.00	22.06.2017		EE, RVS/KV	594982/13.11.2017	3714091.00
		3rd	8000000.00	14.03.2018		EE, RVS/KV	594983/02.08.2018	857038.00
						EE, RVS/KV	594984/02.08.2018	560535.00
						EE, RVS/KV	594985/22.11.2019	3026098.00
						EE, RVS/KV	594986/22.11.2019	325718.00
						EE, RVS/KV	594987/14.12.2020	3281180.00
						EE, RVS/KV	594989/24.09.2021	371784.00
						EE, RVS/KV	594990/06.01.2022	540635.00
						EE, RVS/KV	594991/28.04.2022	3242019.00
						EE, RVS/KV	594992/15.07.2022	296216.00
						DD/CC	594993/16.07.2022	203462.00
	252.00				2520000.00			26071462.00
								-1751462.00

**DP**

Project Name	Sanction Amount	Letter No.	Receipt		D.D. No.	10% V.V. Share	Expenditure		Balance Amount
			Amount	D.D. No.			To	Cq. No./Date	
DPR A/CNO.21160110020760	611.00	1st	35000000.00	09.12.2016	6110000.00	EE, RVS/KV	592741/05.05.2017	35000000.00	
		2nd	17200000.00	22.06.2017		EE, RVS/KV	592742/09.06.2017	17200000.00	
		3rd	2766670.00	14.03.2018					
	611.00		54966670.00		6110000.00			52200000.00	
								8826670.00	

**Verified**

  
 Dean  
 CoA, Sehore
 

  
 Dean  
 CoA, Mandstaur
 

  
 Dean  
 CoA, Gwalior
 

  
 Dean  
 CoA, Indore
 

  
 Dean  
 CoA, Khairat

  
**Comptroller**  
 R.V.S.K.V.V., Gwalior



# Renovation & extension of Agriculture College

**Verified**

**Comptroller**  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

Project Name	Sanction		Receipt		10% V.V. Share		Expenditure		Balance Amount
	Amount	Letter No.	Amount	D.D. No.	To	Cq. No./Date	Amount		


RENOVATION & EXTENSION OF AGRICULTURE COLLEGE A/C NO.21160110015476	1000.00								
		B-3/14/14/543 Dt. 25.05.2012	108.00	048018 Dt. 24.05.2012	E.E. Gwalior	774329/24.07.2012	452860.00		
		3/1/14/165/1009 Dt. 25.03.2015	100.00	Core Banking 20.03.2015	E.E. Gwalior	774330/09.10.2014	1678999.00		
		3/1/14/180/325 Dt. 25.05.2015	200.00	Core Banking 22.05.2015	E.E. Gwalior	774339/29.03.2014	6169311.00		
			300.00	28.12.2016	E.E. Gwalior	774340/30.03.2014	5824567.00		
			52.85	29.05.2017	E.E. Gwalior	774342/30.07.2014	1061782.00		
			123.13	27.06.2017	E.E. Gwalior	598834/31.03.2015	1467917.00		
					E.E. Gwalior	088061/09.07.2015	4616946.00	Equ	
					E.E. Gwalior	088062/02.01.2016	537655.00	Equ	
					E.E. Gwalior	088063/01.02.2016	5800000.00		
				E.E. Gwalior	088064/31.03.2016	855961.00			
				E.E. Gwalior	088065/16.05.2016	2605852.00	NBCC		
				E.E. Gwalior	088067/20.06.2016	2723087.00	Equ		
				E.E. Gwalior	088068/22.07.2016	6384760.00			
				E.E. Gwalior	088069/16.07.2017	351096.00			
				E.E. Gwalior	088070/16.01.2017	6913175.00			
				E.E. Gwalior	088071/16.01.2017	9117002.00			
				E.E. Gwalior	088072/16.01.2017	20159196.00			
				E.E. Gwalior	088273/31.03.2017	5247495.00			
	1000.00					81977661.00			


 Dean CoA, Sehore    
  Dean CoA, Mandasaur    
  Dean CoA, Gwalior    
  Dean CoA, Indore    
  Dean CoA, Khandwa





# Project Sehore Road


Project Name	Sanction Amount	Receipt		D.D. No.	10% V.V. Share	Expenditure		Balance Amount	
		Letter No.	Amount			To	Cq. No. /Date		Amount
SEHORE ROAD A/CNO.21160110 015513	119.31		48.00	Core Banking 13.08.2015		E.E. Bhopal	088081/12.01.16	4800000.00	
			35.77	Core Banking 16.04.2016		E.E. Bhopal	088083/12.01.16	3577000.00	
			22.59	15.05.2017		E.E. Bhopal	088085/03.07.17	2351000.00	
			106.36					11921000.00	
	119.31				11.93			0.00	

  
 Dean  
 CoA, Sehore
 

  
 Dean  
 CoH, Mandasaur
 

  
 Dean  
 CoA, Gwalior

  
 Dean  
 CoA, Indore
 

  
 Dean  
 CoA, Khairwa

**Verified**

**Comptroller**  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

13/10/2016



1:8 in lac

मध्य प्रदेश शासन से अधोसर्वचना मे प्राप्त राशि का विवरण						
Year	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	Total
Amount in lac	181.66	227.33	227.33	327.33	437.33	1400.98

**VERIFIED**

*R.V.S.K.V.V.*  
Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

*R.V.S.K.V.V.*  
Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

*R.V.S.K.V.V.*  
Dy. Director  
Local Fund Audit Gwalior  
Camp-RAD RVSKV Gwl.

*R.V.S.K.V.V.*  
Dean  
CoA, Sehore

*R.V.S.K.V.V.*  
Dean  
CoA, Mandasaur

*R.V.S.K.V.V.*  
Dean  
CoA, Gwalior

*R.V.S.K.V.V.*  
Dean  
CoA, Indore

*R.V.S.K.V.V.*  
Dean  
CoA, M... ..

*R.V.S.K.V.V.*  
Auditor

**Verified**

*R.V.S.K.V.V.*  
Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior



मांग - 013 - किसान कल्याण तथा कृषि विकास

लेखा		बजट अनुमान		पुनरीकृत अनुमान		(आंकड़े हजार रुपयों में)	
2021-2022		2022-2023		2022-2023		बजट अनुमान	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित

0102- अनुसूचित जनजाति उप योजना (सब स्कीम)	- 4,58,69					0102 - अनुसूचित जनजाति उप योजना (सब स्कीम)	
0	0	12,50,00	0	7,91,31	0	(5664) राजमाता - विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर को ब्लाक ग्रांट	(1402) - संचालक, कृषि, भोपाल
						#42 - सहायक अनुदान	
						002 - संधारण अनुदान (वेतन भत्ते, मानदेय इत्यादि)	12,50,00
						योग - योजना - (5664)	0
						0103 - अनुसूचित जाति उप योजना (सब स्कीम)	12,50,00
						(5664) राजमाता - विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर को ब्लाक ग्रांट	0

0103- अनुसूचित जाति उप योजना (सब स्कीम)	- 2,93,31					0103 - अनुसूचित जाति उप योजना (सब स्कीम)	
0	0	3,27,33	0	3,27,33	0	(5664) राजमाता - विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर को ब्लाक ग्रांट	(1402) - संचालक, कृषि, भोपाल
						#42 - सहायक अनुदान	
						001 - अधोसंरचना/पू जीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु अनुदान	3,27,33
						002 - संधारण अनुदान (वेतन भत्ते, मानदेय इत्यादि)	0
						योग- उद्देश्य शीर्ष - #42	9,54,16
						योग - योजना - (5664)	0
						योग- लघु शीर्ष - {120}	9,54,16
						योग लेखा शीर्ष - 2415	1,79,37,99
						2702 - लघु सिंचाई	0
						[02] - मू-जल	
						{196} जिला पंचायतों - को सहायता	
						0102 - अनुसूचित जनजाति उप योजना (सब स्कीम)	
						(2791) प्रायदेव - एजेन्सियों, ठेकेदारों द्वारा कृषकों के खेतों पर सफल नलकूप खनन पर	(1402) - संचालक, कृषि, भोपाल

0	0	9,54,16	0	6,70,85	0
0	0	9,54,16	0	6,70,85	0
0	0	1,79,38,00	0	1,71,96,00	0
0	0	1,79,38,00	0	1,71,96,00	0

Verified

Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

Dean  
CoA, Sehore

Dean  
CoA, Mansa

Dean  
CoA, Gwalior


Dean  
CoA, Indore

Dean  
CoA, Khandwa




लेखा 2020-2021		बजट अनुमान 2021-2022		पुनरीक्षित अनुमान 2021-2022		बजट अनुमान 2022-2023	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित
0103- अनुसूचित जाति उप योजना (सब स्कीम)							
2,27.33	0	2,27.33	0	2,27.33	0	#42 - सहायक अनुदान	0
						001 - अधोसंरचना/पू. जोगित परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु अनुदान	0
5,50.00	0	5,50.00	0	5,50.00	0	002 - संभारण अनुदान (वेतन नत्ते, भानदेय इत्यादि)	0
7,77.33	0	7,77.33	0	7,77.33	0	योग - उद्देश्य शीर्ष - #42	0
7,77.33	0	7,77.33	0	7,77.33	0	योग - योजना - (5664)	0
1,64,14,20	0	1,64,42,21	0	1,64,42,21	0	योग - लघु शीर्ष - {120}	0
1,64,14,20	0	1,64,42,21	0	1,64,42,21	0	योग लेखा शीर्ष - 2415	0
1,64,14,20	0	1,64,42,21	0	1,64,42,21	0	योग एक - राजस्व अनुभाग	0
1,64,14,20	0	1,64,42,21	0	1,64,42,21	0	योग मांग संख्या - S*	0

  
Dean  
CoA, Sehore

  
Dean  
CoA, Mandasaur

  
Dean  
CoA, Gwalior

  
Dean  
CoA, Indore

  
Dean  
CoA, Khandwa

Verified

  
Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior



मांग - 013 - किसान कल्याण तथा कृषि विकास

लेखा 2021-2022		बजट अनुमान 2022-2023		पुनरीकृत अनुमान 2022-2023		(आंकड़े हजार रुपयों में) बजट अनुमान 2023-2024	
मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित	मतदेय	भारित

						2415 - कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	
						[01] - फसल कृषि कार्य	
						{120} अन्य संस्थाओं - को सहायता	
						(0715) जवाहरलाल - नेहरु कृषि विश्वविद्यालय की स्वयंसेवी पेंशन योजना	(1402) - संचालक, कृषि, भोपाल
0	0	31,38,00	0	31,38,00	0	#42 - सहायक अनुदान	
0	0	31,38,00	0	31,38,00	0	007 - अन्य शर्त रहित अनुदान	31,38,00 0
						योग - योजना - (0715)	31,38,00 0

0101- सामान्य

						0101 - सामान्य	
						(1455) जवाहरलाल - नेहरु कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर को ब्लॉक ग्रांट	(1402) - संचालक, कृषि, भोपाल
0	0	1,50,00	0	1,50,00	0	#42 - सहायक अनुदान	
0	0	93,50,00	0	93,50,00	0	001 - अधोसंरचना/पू. जीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु अनुदान	1,50,00 0
0	0	95,00,00	0	95,00,00	0	002 - संधारण अनुदान (वेतन भत्ते, मानदेय इत्यादि)	93,50,00 0
0	0	95,00,00	0	95,00,00	0	योग - उद्देश्य शीर्ष - #42	95,00,00 0
0	0	95,00,00	0	95,00,00	0	योग - योजना - (1455)	95,00,00 0

0101- सामान्य

						(5664) राजमाता - विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय न्वालियर को ब्लॉक ग्रांट	(1402) - संचालक, कृषि, भोपाल
0	0	1	0	1	0	#42 - सहायक अनुदान	
0	0	14,50,00	0	14,50,00	0	001 - अधोसंरचना/पू. जीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु अनुदान	1,00,00 0
0	0	16,45,83	0	16,45,83	0	002 - संधारण अनुदान (वेतन भत्ते, मानदेय इत्यादि)	13,50,00 0
0	0	30,95,84	0	30,95,84	0	007 - अन्य शर्त रहित अनुदान	16,45,83 0
0	0	30,95,84	0	30,95,84	0	योग - उद्देश्य शीर्ष - #42	30,95,83 0
						योग - योजना - (5664)	30,95,83 0

लेखा शीर्ष 2415 [01] - {120}

13 - 003

Verified  
Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

Dean  
CoA, Sehore

Dean  
CoA, Mandasaur

Dean  
CoA, Gwalior

Dean  
CoA, Indore

Dean  
CoA, Jabalpur



मांग - 054 - कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा

(आंकड़े हजार रुपयों में)

वर्ष 2017-2018		वर्ष 2018-2019		पुनरीक्षित अनुमान 2018-2019		वर्ष 2019-2020	
मत्तदेय	भारत	मत्तदेय	भारत	मत्तदेय	भारत	मत्तदेय	भारत

0101- सामान्य

वर्ष 2017-2018	वर्ष 2018-2019	पुनरीक्षित अनुमान 2018-2019	वर्ष 2019-2020	विवरण
0	0	1	0	#42 - सहायक अनुदान
0	0	0	0	001 - अधीनसंरचना/पू. जीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु अनुदान
18,00,00	0	18,50,00	0	002 - संभारण अनुदान (वेतन भत्ते, मानदेय इत्यादि)
0	0	22,90,00	0	007 - अन्य
18,00,00	0	41,40,01	0	योग- उद्देश्य शीर्ष - #42
18,00,00	0	41,40,01	0	योग - योजना - (5664)
				0102 - अनुसूचित जनजाति उप योजना (सब स्कीम)
				(5664) राजमाता - विजयाराजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर की स्थापना
				(1402) - संचालक, कृषि, गोपाल

01015- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा

0102- अनुसूचित जनजाति उप योजना (सब स्कीम)

वर्ष 2017-2018	वर्ष 2018-2019	पुनरीक्षित अनुमान 2018-2019	वर्ष 2019-2020	विवरण
9,72,40	0	10,50,00	0	#42 - सहायक अनुदान
				002 - संभारण अनुदान (वेतन भत्ते, मानदेय इत्यादि)
				योग - योजना - (5664)
9,72,40	0	10,50,00	0	0103 - अनुसूचित जाति उप योजना (सब स्कीम)
				(5664) राजमाता - विजयाराजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर की स्थापना
				(1402) - संचालक, कृषि, गोपाल

01015- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा

0103- अनुसूचित जाति उप योजना (सब स्कीम)

वर्ष 2017-2018	वर्ष 2018-2019	पुनरीक्षित अनुमान 2018-2019	वर्ष 2019-2020	विवरण
2,70,00	0	3,00,00	0	#42 - सहायक अनुदान
				001 - अधीनसंरचना/पू. जीगत परिसंपत्तियां निर्मित किये जाने हेतु अनुदान
				002 - संभारण अनुदान (वेतन भत्ते, मानदेय इत्यादि)
5,45,10	0	6,00,00	0	योग- उद्देश्य शीर्ष - #42
8,15,10	0	9,00,00	0	योग - योजना - (5664)
8,15,10	0	9,00,00	0	(5664) राजमाता - विजयाराजे
				(1402) - संचालक, कृषि, गोपाल

Verified  
Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

Dean  
CoA, Sehore

Dean  
CoH, Mandsaur

Dean  
CoA, Gwalior

Dean  
CoA, Indore

Dean  
CoA, Khandwa

लेखा शीर्ष : 2415 [01] - (20)

14-86

482317



मध्य प्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक AGR/9/0027/2023-Sec-2-14(AGR) (P-212752) 488 भोपाल, दिनांक - 26 अप्रैल, 2023

प्रति,

आयुक्त  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्य प्रदेश, भोपाल।


विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, खालियर को स्वीकृत ब्लॉक ग्रांट के अन्तर्गत प्रथम तिमाही किस्त (25%) की राशि रूपये 65.466 लाख स्वीकृति बाबत।

राज्य शासन वर्ष 2023-24 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, खालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रूपये 327.33 लाख में से 20 % कटौती उपरांत आवंटित राशि रूपये 261.864 लाख में से प्रथम तिमाही किस्त (25%) की राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रूपये 65.466 लाख (पैसठ लाख छियालिस हजार छः सौ मात्र) पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

1. बजट बनाने के समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्व विद्यालय को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुकूल के बिना नहीं किया जावेगा।
3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/वी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
6. रा.वि.सि.कृ.वि.वि., खालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश खालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।
8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व बांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।
11. वित्त विभाग के जारी निर्देशों एवं राज्य शासन के संबंधित अद्यतन आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के तहत ही राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

  
Dean  
CoA, Senore

  
Dean  
CoA, Mandasaur

  
Dean  
CoA, Gwalior

  
Dean  
CoA, Indore

  
Dean  
CoA, Khandwa

**Verified**  
Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior



मध्य प्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक AGR/9/0027/2023-Sec-2-14(AGR) (P-212752) / 480 भोपाल, दिनांक - 26 अप्रैल, 2023

प्रति,

आयुक्त


किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्य प्रदेश, भोपाल।


विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को स्वीकृत ब्लॉक ग्रांट के अन्तर्गत प्रथम तिमाही किस्त (25%) की राशि रूपये 20.00 लाख स्वीकृति बाबत।

राज्य शासन वर्ष 2023-24 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रूपये 100.00 लाख में से 20% कटौती उपरांत आवंटित राशि रूपये 80.00 लाख में से प्रथम तिमाही किस्त (25%) की राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रूपये 20.00 लाख (बीस लाख मात्र) पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

1. बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्व विद्यालय को अन्य खोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावेगा।
3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के जाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।
8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।
11. वित्त विभाग के जारी निर्देशों एवं राज्य शासन के संबंधित अद्यतन आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के तहत ही निर्देशों/राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

  
Dean  
CoA, Sehore

  
Dean  
CoA, Mandasaur

  
Dean  
CoA, Gwalior

  
Dean  
CoA, Indore

  
Dean  
CoA, Khandwa

Verified

  
Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior



मध्य प्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक AGR/9/0027/2023-Sec-2-14(AGR) (P-212752) 871 भोपाल, दिनांक - 18 जुलाई, 2023

प्रति,

आयुक्त  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को स्वीकृत ब्लॉक ग्रांट के अन्तर्गत द्वितीय तिमाही किस्त (30%) की राशि रूपये 24.00 लाख स्वीकृति बावत्।

राज्य शासन वर्ष 2023-24 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रूपये 100.00 लाख में से 20% कटौती उपरांत आवंटित राशि रूपये 80.00 लाख में से द्वितीय तिमाही किस्त (30%) की राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रूपये 24.00 लाख (चौबीस लाख मात्र) पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

1. बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्व विद्यालय को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावेगा।
3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/वी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावे।
8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावे।
10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।
11. वित्त विभाग के जारी निर्देशों एवं राज्य शासन के संबंधित अद्यतन आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के तहत ही निर्देशों/राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

Verified  
Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

18/7/23  
Dean  
CoA, Sehore

Dean  
CoA, Mandasaur

Dean  
CoA, Gwalior

Dean  
CoA, Indore

Dean  
CoA, Khandwa



मध्य प्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक AGR/9/0027/2023-Sec-2-14(AGR) (P-212752)

भोपाल, दिनांक - 18 जुलाई, 2023

प्रति,

आयुक्त  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्य प्रदेश, भोपाल।

279

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को स्वीकृत ब्लॉक ग्रांट के अन्तर्गत द्वितीय तिमाही किस्त (30%) की राशि रूपये 78.5592 लाख स्वीकृति बावत्।

राज्य शासन वर्ष 2023-24 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रूपये 327.33 लाख में से 20 % कटौती उपरांत आवंटित राशि रूपये 261.864 लाख में से द्वितीय तिमाही किस्त (30%) की राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रूपये 78.5592 लाख (अठहत्तर लाख पचपन हजार नौ सौ बीस मात्र) पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

1. बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्व विद्यालय को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुकूल के बिना नहीं किया जावेगा।
3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।
8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।
11. वित्त विभाग के जारी निर्देशों एवं राज्य शासन के संबंधित अद्यतन आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के तहत ही राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

18/7/23

Dean CoA, Sehore Dean CoA, Mandasaur Dean CoA, Gwalior Dean CoA, Indore Dean CoA, Khandwa

Verified

Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwali



मध्य प्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक AGR/9/0027/2023-Sec-2-14(AGR) (P-212752) 73 भोपाल, दिनांक - 18 जनवरी, 2023  
प्रति,

आयुक्त  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को स्वीकृत ब्लॉक ग्रांट के अन्तर्गत चतुर्थ तिमाही किस्त (20%) की राशि रूपये 52.3728 लाख स्वीकृति वावत।

राज्य शासन वर्ष 2023-24 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रूपये 327.33 लाख में से 20 % कटौती उपरांत आवंटित राशि रूपये 261.864 लाख में से चतुर्थ तिमाही किस्त (20%) की राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रूपये 52.3728 लाख (रूपये वावन लाख सैंतीस हजार दो सौ अस्सी) पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

1. बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्व विद्यालय को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का संभावित बजट में करें।
2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुकूल के बिना नहीं किया जावेगा।
3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के जाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावे।
8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावे।
10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।
11. वित्त विभाग के जारी निर्देशों एवं राज्य शासन के संबंधित अद्यतन आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के तहत ही राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

Verified  
Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

18/01/24  
Dean  
CoA, Sehore

Dean  
CoA, Mandsaur

Dean  
CoA, Gwalior

Dean  
CoA, Indore

Dean  
CoA, Khandwa



उपर्युक्त व्यय मांग संख्या 013- किसान कल्याण तथा कृषि विकास -2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा -01- फसल कृषि कार्य-120 अन्य संस्थाओं को सहायता-0103 अनुसूचित जाति उपयोजना -5664 रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर की स्थापना ब्लाक ग्रांट -V- अनुसूचित जाति उपयोजना -42- सहायक अनुदान -001- अधोसंरचना/पूँजीगत परिसंपत्तियां निर्मित हेतु अंतर्गत विकलनीय होगा।

(प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त)

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

पृ. क्रमांक AGR/9/0027/2023-Sec-2-14(AGR) (P-212752) 74 भोपाल, दिनांक - 18 जनवरी, 2023

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, अ.जा./अ.ज.जा. कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, संचालनालय कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन खण्ड-अ अरेरा हिल्स, भोपाल।
5. आयुक्त सह संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
6. लेखा नियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
7. संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संभाग- ग्वालियर की ओर लेख है कि उक्त राशि कोषालय से आहरण कर राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को भुगतान करने का कष्ट करें।
8. निज सहायक अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल।
9. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, ग्वालियर।
10. उप संचालक, (बजट), संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

Dean  
CoA, Sehore

Dean  
CoA, Mandasaur

Dean  
CoA, Gwalior

Dean  
CoA, Indore

Dean  
CoA, Khajuraho

Verified

Comptroller

R.V.S.K.V.V., Gwalior



मध्य प्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
संभ्रालय, भोपाल

क्रमांक AGR/9/0027/2023-Sec-2-14(AGR) (P-212752) 69 भोपाल, दिनांक - 18 जनवरी, 2024  
प्रति,

आयुक्त  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को स्वीकृत ब्लॉक ग्रांट के अन्तर्गत चतुर्थ तिमाही किस्त (20%) की राशि रूपये 16.00 लाख स्वीकृति बाबत।

राज्य शासन वर्ष 2023-24 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रूपये 100.00 लाख में से 20% कटौती उपरांत आवंटित राशि रूपये 80.00 लाख में से चतुर्थ तिमाही किस्त (30%) की राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रूपये 16.00 लाख (सोलह लाख मात्र) पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

1. बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्व विद्यालय को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावेगा।
3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
6. रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।
8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।
11. वित्त विभाग के जारी निर्देशों एवं राज्य शासन के संबंधित अद्यतन आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के तहत ही निर्देशों/राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

Verified  
Comptroller  
S.K.V.V., Gwalior  
8/1/24

Dean  
CoA, Sahara

Dean  
CoA, Mandasaur

Dean  
CoA, Gwalior

Dean  
CoA, Indore

Dean  
CoA, Khandwa



उपर्युक्त व्यय मांग संख्या 013- किसान कल्याण तथा कृषि विकास -2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा -01- फसल कृषि कार्य-120 अन्य संस्थाओं को सहायता-0101 सामान्य -5664 रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर की स्थापना ब्लाक ग्रांट -V-42- सहायक अनुदान -001- पूंजीगत परिसंपत्तियों आदि अंतर्गत विकलनीय होगा।

(प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त)

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

18/01/24  
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

पृ. क्रमांक AGR/9/0027/2023-Sec-2-14(AGR) (P-212752) 70 भोपाल, दिनांक - 18 जनवरी, 2023  
प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, अ.जा./अ.ज.जा. कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
4. आयुक्त, संचालनालय कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन खण्ड-अ अरेरा हिल्स, भोपाल।
5. आयुक्त सह संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, मध्य प्रदेश, ग्वालियर।
6. लेखा नियंत्रक, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
7. संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संभाग- ग्वालियर की ओर लेख है कि उक्त राशि कोषालय से आहरण कर राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को भुगतान करने का कष्ट करें।
8. निज सहायक अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल।
9. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, ग्वालियर।
10. उप संचालक, (बजट), संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, भोपाल।

18/01/24  
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

Dean  
CoA, Sehore

Dean  
CoH, Mandasaur

Dean  
CoA, Gwalior

Dean  
CoA, Indore

Dean  
CoA, Khandwa

Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior



मध्य प्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

क्र. AGR/9/0027/2023-Sec-2-14(AGR) (P-212752) 323 भोपाल, दिनांक -13/3/2024

ते,

आयुक्त  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्य प्रदेश, भोपाल।

1:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान हेतु राज्य शासन द्वारा स्वीकृत बजट के अन्तर्गत प्रावधानित राशि में से शेष 20 % कटौती राशि स्वीकृति हेतु प्रदान करने बावत ।

राज्य शासन वर्ष 2023-24 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को य स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रूपये 100.00 लाख में से में से शेष 20 % कटौती राशि लाख (बीस लाख मात्र) पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत की है:-

- बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्व विद्यालय को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
- दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावेगा।
- दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
- भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के जाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
- रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
- पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।
- इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
- आगामी क्रिस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
- स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।
- वित्त विभाग के जारी निर्देशों एवं राज्य शासन के संबंधित अद्यतन आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के तहत ही निर्देशों/राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

Verified  
Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

13/03/2024

Dean  
CoA, Sehore

Dean  
CoA, Mandasaur

Dean  
CoA, Gwalior

Dean  
CoA, Indore

Dean  
CoA, Khandwa



मध्य प्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

क्रमांक AGR/9/0027/2023-Sec-2-14(AGR) (P-212752) 325 भोपाल, दिनांक- 13/3/2024  
प्रति,

आयुक्त  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान हेतु राज्य शासन द्वारा स्वीकृत बजट के अन्तर्गत प्रावधानित राशि में से शेष 20 % कटौती राशि स्वीकृति हेतु प्रदान करने बाबत ।

राज्य शासन वर्ष 2023-24 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को वित्सागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रूपये 327.33 लाख में में से शेष 20 % कटौती राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रूपये 65.466 लाख (पैंसठ लाख छियालीस हजार छः सौ मात्र) पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

1. बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्व विद्यालय को अन्य छोटों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुकूल के बिना नहीं किया जावेगा।
3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।
8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।
11. वित्त विभाग के जारी निर्देशों एवं राज्य शासन के संबंधित अद्यतन आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के तहत ही राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

Verified

Comptroller

R.V.S.K.V.V., Gwalior

Dean

CoA, Sehore

Dean

CoA, Mandsaur

Dean

CoA, Gwalior

Dean

CoA, Indore

Dean

CoA, Khandwa



12/13/2023

मध्य प्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक #DocumentNumber# (61175)

भोपाल, दिनांक - 08/02/2023

182279

प्रति,

संचालक

किसान कल्याण तथा कृषि विकास,

मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को स्वीकृत ब्लॉक ग्रांट के अन्तर्गत चतुर्थ तिमाही किस्त (20%) की राशि रुपये 52.3728 लाख स्वीकृत बावत।

राज्य शासन वर्ष 2022-23 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रुपये 327.33 लाख में से 20 % कटौती उपरांत आवंटित राशि रुपये 261.864 लाख में से चतुर्थ तिमाही किस्त (20%) की राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रुपये 52.3728 लाख (बावन लाख सैंतीस हजार दो सौ अस्सी मात्र) पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

1. बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्व विद्यालय को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुकूल के बिना नहीं किया जावेगा।
3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
6. रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।
8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।

Verified  
Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

Dean  
CoA, Sehore

Dean  
CoA, Mandsaur

Dean  
CoA, Gwalior

Dean  
CoA, Indore

Dean  
CoA, Khandwa



मध्यप्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

मार्च

पृ. क्रमांक AGR/9/0108/2021-Sec-2-14(AGR) (61175) 2023 भोपाल, दिनांक - 7 फरवरी, 2023  
प्रति,

आयुक्त

किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- वर्ष 2022-23 में राजभाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान हेतु राज्य शासन द्वारा स्वीकृत बजट के अन्तर्गत प्रावधानित राशि में से 20% कटौती की राशि स्वीकृति हेतु प्रदान करने बाबत।

वर्ष 2022-23 में राजभाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रुपये 327.33 लाख में से 20% कटौती की राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रुपये 65.466 लाख (षष्ठ लाख छियालीस हज़ार सौ मात्र) का सहायक अनुदान पूंजीगत परिसम्पत्तियों के भुगतान हेतु निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

1. विश्व विद्यालय को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।
3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक 04/1/75/दो दिनांक 17.05.75 में शासन की स्वीकृति के बिना कोई अतिरिक्त पद निर्मित नहीं किये जावें।
4. मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक 04/1/75/दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. भविष्य में सहायक अनुदान की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के जाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
6. ज.ने.कृ.वि.मि जबलपुर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करावें।
8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पत्रात परिसर में किया जावेगा।
9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
10. स्वीकृति सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।
11. वित्त विभाग के निर्देशों एवं राज्य शासन के संबंधित अद्यतन आदेश/ निर्देशों/ परिपत्रों के तहत ही राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

07/03/23

Dean CoA, Sehore  
Dean CoA, Mandasaur  
Dean CoA, Gwalior  
Dean CoA, Indore  
Dean CoA, Khandwa

Verified



मध्य प्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
दफ्तालय, भोपाल

क्रमांक AGR/9/0106/2021-Sec-2-14(AGR) (01175) 649 भोपाल, दिनांक - 21 जुलाई, 2022  
प्रति,

संचालक  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय खालियर को स्वीकृत ब्लाक ग्रांट के अंतर्गत वित्तीय विभागीय क्रमांक 04/175/75 की 30 प्रतिशत राशि रुपये 78.5592 लाख स्वीकृत करने बाबत।

राज्य शासन वर्ष 2022-23 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, खालियर की विभागीय स्वीकृत बजट में आवंटित राशि रुपये 327.33 लाख में से 20% राशि के अंतर्गत आवंटित राशि रुपये 261.864 लाख में से वित्तीय विभागीय क्रमांक (30%) की राशि बड़ायक अनुदान के रूप में राशि रुपये 78.5592 लाख (अठहत्तर लाख पचास हजार की संख्या में) पूंजीगत परियोजनाओं के सुधार के लिए निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

1. बजट बनते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गए निर्देशानुसार विश्व विद्यालय को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का सकारण बजट में करें।
2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये अनुदान में कोई परिवर्तन नहीं करना, बल्कि राज्य शासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावेगा।
3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक 04/175/75 से दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक 04/175 से दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. अधिपथ में मद्दायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के जाप क्रमांक 444/228/वी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
6. रा.वि.मि.कृ.वि.वि., खालियर के विकास को संरक्षण करने के लिए समन्वयकार मध्यप्रदेश खालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये मद्दायक अनुदान का जो उपरोक्त अनुदान-पत्र द्वारा प्रदान किया जावे।
8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पत्रावली द्वारा किया जावेगा।
9. वित्तीय विभाग के प्रस्ताव भेजने के पूर्व उपरोक्त अनुदान निर्धारण पत्रावली का पालन करना।
10. अनुदान प्राप्त होने पर वित्त विभाग के साथ समन्वय प्रदान करने हेतु ही स्वीकृत किया जावे।

VERTICU  
Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

21/7/22

Dean CoA, Sehore  
Dean CoA, Mandsaur  
Dean CoA, Gwalior  
Dean CoA, Indore  
Dean CoA, Khandwa



मध्य प्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक AGR/9/0106/2021-Sec-2-14(AGR) (61175) 418 भोपाल, दिनांक - 29 अप्रैल, 2022  
प्रति,


संचालक  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्य प्रदेश, भोपाल।


विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को स्वीकृत ब्लॉक ग्रांट के अन्तर्गत प्रथम तिमाही किस्त (25%) की राशि रूपये 65.466 लाख स्वीकृति वावत्।


राज्य शासन वर्ष 2022-23 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रूपये 327.33 लाख में से 20 % कटौती उपरांत आवंटित राशि रूपये 261.864 लाख में से प्रथम तिमाही किस्त (25%) की राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रूपये 65.466 लाख (पैसठ लाख छियालीस हजार छः सौ मात्र) पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नार्कित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-


1. बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्व विद्यालय को अन्य खर्चों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुकूल के बिना नहीं किया जावेगा।
3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।
8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व बांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।

  
Dean  
CoA, Sehore

  
Dean  
CoH, Mandasaur

  
Dean  
CoA, Gwalior

  
Dean  
CoA, Indore

  
Dean  
CoA, Khandwa

Verified



मध्य प्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
संचालक, भोपाल

क्रमांक: 142/2022/FWAD (61175)

भोपाल, दिनांक 09/11/2022

प्रति,

संचालक  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को स्वीकृत ब्लॉक ग्रांट के अन्तर्गत तृतीय तिमाही किस्त (25%) की राशि रूपये 65.466 लाख स्वीकृति बाबत

राज्य शासन वर्ष 2022-23 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रूपये 327.33 लाख में से 20 % कटौती उपरांत आवंटित राशि रूपये 261.864 लाख में से तृतीय तिमाही किस्त (25%) की राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रूपये 65.466 लाख (पैसठ लाख छियालीस हजार छः सौ मात्र) पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

1. विश्व विद्यालय को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुकत के बिना नहीं किया जावेगा।
3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में शासन की स्वीकृति के बिना कोई अतिरिक्त पद निर्मित नहीं किये जावें।
4. मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।
8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।
11. वित्त विभाग के जारी निर्देशों एवं राज्य शासन के संबंधित अद्यतन आदेशों/निर्देशों/परिपत्रों के तहत ही राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

उपर्युक्त व्यय भाग संख्या 013- किरान कल्याण तथा कृषि विकास -2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा - 01- फसल कृषि कार्य-120 अन्य संस्थाओं को सहायता-0103 अनुसूचित जाति उपयोजना -5664 रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर की स्थापना ब्लॉक ग्रांट -V- अनुसूचित जाति उपयोजना -42- सहायक अनुदान - 001- अद्योसंरचना/पूंजीगत परिसंपत्तियां निर्मित हेतु अंतर्गत विकलनीय होगा।

(प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त)

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

Signed by Jitendra Singh  
Parihar  
Date: 09/11/2022 17:53:52  
Reason: मध्य प्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

Dean  
COA, Indore  
Dean  
COA, Khundwa  
Dean  
COA, Gwalior  
Dean  
COA, Jabalpur

Verified  
Controller  
S.V.V., Gwalior



2021-22

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंचालय

भोपाल, दिनांक 12/05/2021

क./ क्रमांक: 101/2021/FWAD

प्रति,

संचालक

किसान कल्याण तथा कृषि विकास,

मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय:- वर्ष 2021-22 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान हेतु राज्य शासन द्वारा स्वीकृत बजट के अंतर्गत प्रावधानित राशि में से प्रथम तिमाही किस्त हेतु 25 प्रतिशत हेतु रु वीकृति प्रदान करने बावत्।

राज्य शासन वर्ष 2021-22 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रुपये 227.33 लाख में से आवंटित राशि रुपये 181.864 लाख में से प्रथम तिमाही किस्त हेतु 25 प्रतिशत राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रुपये 45.466 लाख (पैंतालीस लाख छियालीस हजार छः सौ मात्र) सहायक अनुदान पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान हेतु निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करता है:-

1. बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्वविद्यालय, को अन्य स्त्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुकूल के बिना नहीं किया जावेगा।
3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
4. यह भी अंकित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के जाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावे।
8. इत अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावे।

Verified  
Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

Dean  
CoA, Sehore

Dean  
CoA, Mandsaur

Dean  
CoA, Gwalior

Dean  
CoA, Indore

Dean  
CoA, Khandwa



मध्य प्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

74/2021/FWAD(68993)

04/08/2021

बालक  
सान कल्याण तथा कृषि विकास,  
प्रदेश, भोपाल

र्ष 2021-22 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को सहायक  
गीगत परिसम्पत्तियों के लिये राज्य शासन द्वारा स्वीकृत बजट के अंतर्गत प्रावधानित राशि में से  
ही किस्त हेतु 30 प्रतिशत स्वीकृत करने वावत्।

2021-22 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्  
में प्रावधानित राशि रुपये 227.33 लाख में से आवंटित राशि रुपये 54.5592 लाख (रूपये  
पचपन हजार नौ सौ बीस मात्र) सहायक अनुदान पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिये हेतु निम्नांकित  
स्वीकृत की जाती है:-  
विद्यालय को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में किया जाय।

क 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य  
की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जावेगा।

क 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन, विभाग के  
क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।

प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में  
ई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।

5. ऋण्य में सहायक अनुदान की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्य प्रदेश शासन, वित्त  
भाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/वी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया पूर्ति  
वा जावे।

6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्य प्रदेश र  
ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।

7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।

8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।

9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।

10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।

Verified  
Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

Dean  
COA, Sehore

Dean  
COA, Mandasaur

Dean  
COA, Gwalior

Dean  
COA, Indore

Dean  
COA, Khandwa



मध्य प्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
अंचालय, भोपाल

01/11/2021

क्रमांक: 222/2021/FWAD (84129)

प्रति,

संचालक  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय:- वर्ष 2021-22 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान पूंजीगत परिसम्पत्तियों के लिए राज्य शासन द्वारा स्वीकृत बजट के अंतर्गत प्रावधानित राशि में से तृतीय तिमाही किस्त हेतु 20 प्रतिशत स्वीकृति प्रदान करने बाबत।

वर्ष 2021-22 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रुपये 227.33 लाख में से आवंटित राशि रुपये 181.864 लाख में से तृतीय तिमाही किस्त हेतु 20 प्रतिशत राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रुपये 36.3728 लाख (छत्तीस लाख सैंतीस हजार दो सौ अस्सी मात्र) सहायक अनुदान पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

1. विश्व विद्यालय, को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुकत के बिना नहीं किया जावेगा।
3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक: 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
4. मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के जाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्य प्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।
8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व बांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।
11. वित्त विभाग के जारी निर्देशों एवं राज्य शासन के सम्बन्धित अद्यतन आदेश /निर्देश /परिपत्रों के

Verified


Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

  
Dean

CoA, Sehore

  
Dean


CoH, Mandasaur

  
Dean

CoA, Gwalior

  
Dean

CoA, Indore

  
Dean

CoA, Khandwa



मध्य प्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक AGR/9/0106/2021-Sec-2-14/AGR(61175) 59

24  
भोपाल, दिनांक /01/2022

प्रति,

संचालक

किसान कल्याण तथा कृषि विकास,

मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय:- वर्ष 2021-22 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए राज्य शासन द्वारा स्वीकृत बजट के अंतर्गत प्रावधानित राशि में से चतुर्थ तिमाही किस्त हेतु 25 प्रतिशत स्वीकृति प्रदान करने बावत।  
वर्ष 2021-22 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रुपये 227.33 लाख में से आवंटित राशि रुपये 181.864 लाख में से चतुर्थ तिमाही किस्त हेतु 25 प्रतिशत राशि सहायक अनुदान राशि रुपये 45.466 लाख (पैंतालीस लाख छियालीस हजार छः सौ मात्र) पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

1. विश्व विद्यालय को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुकूल के बिना नहीं किया जावेगा।
3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावें।
8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।
11. वित्त विभाग के जारी निर्देशों एवं राज्य शासन के संबंधित अद्यतन आदेश/निर्देशों/परिपत्रों के तहत ही राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

24/01/22  
Dean  
CoA, Sehore

Dean  
CoA, Mandasaur

Dean  
CoA, Gwalior

Dean  
CoA, Indore

Dean  
CoA, Khandwa

Verified  
Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior



मध्य प्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक AGR/9/0106/2021-Sec-2-14(AGR)(61175)/228 भोपाल, दिनांक - 9 मार्च, 2022

प्रति,

संचालक

किसान कल्याण तथा कृषि विकास,

मध्य प्रदेश, भोपाल।

विषय:- वर्ष 2021-22 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान पूंजीगत परिसंपत्तियों के लिए राज्य शासन द्वारा स्वीकृत बजट के अंतर्गत प्रावधानित राशि में से 20 %कटोत्री की राशि हेतु स्वीकृति प्रदान करने बावत् स्वीकृति प्रदान करने बावत्।

वर्ष 2021-22 में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्व विद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रुपये 227.33 लाख में से आवंटित राशि रुपये 181.864 लाख में 20 %कटोत्री की राशि हेतु स्वीकृति प्रदान करने बावत् राशि सहायक अनुदान राशि रुपये 45.466 लाख (पैंतालीस लाख छियालीस हजार छः सौ मात्र) पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान के लिए निम्नांकित शर्तों के साथ स्वीकृत की जाती है:-

1. बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिए गये निर्देशानुसार विश्व विद्यालय को अन्य छोटों से होने वाली आय का समावेश बजट में करें।
2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तित राज्य शासन की पूर्व अनुकत के बिना नहीं किया जावेगा।
3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन, की स्वीकृति के बिना कोई अतिरिक्त पदनिर्मित नहीं किये जावेगें।
4. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
6. रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करावे।
8. इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
9. आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व बांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावे।
10. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।
11. वित्त विभाग के जारी निर्देशों एवं राज्य शासन के संबंधित अद्यतन अदेश/निर्देशों/परिपत्रों के तहत ही राशि का उपयोग सुनिश्चित किया जावे।

Verified  
Comptroller  
R.V.S.K.V.V. Gwalior

09/03/22  
Dean  
CoA, Sehore

Dean  
CoA, Mandasaur

Dean  
CoA, Gwalior

Dean  
CoA, Indore

Dean  
CoA, Khajuraho

CoA, Sehore

CoA, Mandasaur

CoA, Gwalior

CoA, Indore

CoA, Khajuraho



मध्यप्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 19/5/2020

क्रमांक बी-4/11/2020/14-2/1460  
प्रति,

संचालक  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय :- वर्ष 2020-21 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान हेतु राज्य शासन द्वारा लेखानुदान 2020 में स्वीकृत बजट के अर्न्तगत प्रावधानित राशि स्वीकृति प्रदान करने बाबत।

राज्य शासन वर्ष 2020-21 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट लेखानुदान 2020 में प्रावधानित राशि रुपये 45.47 लाख आंशिक राशि सहायक अनुदान के रूप में राशि रुपये 45.47 लाख (राशि रु. पैंतालिस लाख सैतालिस हजार मात्र) का सहायक अनुदान पूर्णगत परिसम्पत्तियों के भुगतान हेतु निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करता है:-

- 1 बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्वविद्यालय को अन्य स्रोतों से होने वाली आय का सम्भावित बजट में करें।
- 2 दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।
- 3 दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन की स्वीकृति के बिना कोई अतिरिक्त पदनिर्मित नहीं किये जावेंगे।
- 4 यह भी अंकित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
- 5 भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
- 6 रा.वि.सि.कृ.वि.वि ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
- 7 पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करावें।
- 8 इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
- 9 आगामी क्रिस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावें।
- 10 स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।

Comptroller  
K.V.V. Gwalior  
Deen

Deen  
CoA, Sehore  
CoA, Mandla

Dean  
CoA, Gwalior

Dean  
CoA, Indore

Dean  
CoA, Khandwa



2

मध्यप्रदेश शासन  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय  
क्रमांक बी-4/11/2020/14-2/2017  
भोपाल, दिनांक 27/8/2020  
प्रति,

संचालक  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

विषय : वर्ष 2020-21 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को सहायक अनुदान हेतु राज्य शासन द्वारा स्वीकृत बजट के अंतर्गत प्रावधानित राशि में से द्वितीय किस्त हेतु शेष राशि स्वीकृति प्रदान करने बाबत।

राज्य शासन वर्ष 2020-21 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रुपये 227.33 लाख में से आवंटित राशि रुपये 181.864 लाख में से प्रथम छिमाही हेतु (45%) राशि सहायक अनुदान की शेष राशि राशि रुपये 36.3688 लाख ( राशि रु. छत्तीस लाख छत्तीस हजार आठ सौ अस्सी मात्र) का सहायक अनुदान पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान हेतु निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करता है:-

- 1.) बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्वविद्यालय, को अन्य स्रोतों से हाने वाली आय का समावेश बजट में करें।
- 2.) दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य भासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।
- 3.) दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन की स्वीकृति के बिना कोई अतिरिक्त पदनिर्मित नहीं किये जावेंगे।
- 4.) यह भी अंकित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 04/1/75/ दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
- 5.) भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
- 6.) रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
- 7.) पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करावें।
- 8.) इस अनुदान राशि का समायोजन अनुदान निर्धारण पश्चात एरियर्स में किया जावेगा।
- 9.) आगामी किस्त के प्रस्ताव भेजने के पूर्व वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करावे।
- 10.) स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का व्यय प्रावधानित प्रयोजन हेतु ही सुनिश्चित किया जावे।

28/8/20

Verified  
Comptroller  
R.V.S.K.V.V., Gwalior

Dean CoA, Sehore  
Dean CoH, Mandasaur  
Dean CoA, Gwalior  
Dean CoA, Indore  
Dean CoA, Khandwa



3

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय

क्रमांक: 27/2020/FWAD

प्रति,

संचालक,

किसान कल्याण तथा कृषि विकास

मध्यप्रदेश भोपाल।

विषय: वर्ष 2020-21 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर को सहायक अनुदान हेतु राज्य शासन द्वारा स्वीकृत बजट के अंतर्गत प्रावधानित राशि में से तृतीय तिमाही किस्त हेतु राशि स्वीकृति प्रदान करने बावत।

राज्य शासन वर्ष 2020-21 राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर को विभागीय स्वीकृत बजट में प्रावधानित राशि रुपये 227.33 लाख में से आवंटित राशि रुपये 181.864 लाख में से तृतीय तिमाही किस्त हेतु (25%) राशि सहायक अनुदान की राशि रुपये 45.466 लाख (राशि रु. पैंतालिस लाख छयालीस हजार छ सौ मात्र) का सहायक अनुदान पूंजीगत परिसंपत्तियों के भुगतान हेतु निम्न शर्तों के साथ स्वीकृत करता है:-

1. बजट बनाते समय वित्त विभाग अनिवार्य रूप से पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार विश्वविद्यालय को अन्य स्रोतों से हाने वाली आय का समावेश बजट में करें।
2. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये वेतनमान में कोई पुनरीक्षण संशोधन, परिवर्तन राज्य शासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा।
3. दिनांक 26.12.70 को स्वीकृत किये गये पदों में राज्य शासन की स्वीकृति के बिना कोई अतिरिक्त पदनिर्मित नहीं किये जावेंगे।
4. यह भी अंकित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के जाप क्रमांक 04/1/75 दो दिनांक 17.05.75 में लगाई गई शर्तों का पूर्णतया पालन किया जावे।
5. भविष्य में सहायक अनुदान के लिए स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजते समय मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के जाप क्रमांक 444/228/बी-1/77 दिनांक 11.05.77 में लगाई गई शर्तों की पूर्णतया प्रतिपूर्ति की जावे।
6. रा.वि.सि.कृ.वि.वि., ग्वालियर के लेखाओं का अंकेक्षण करने के लिए महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर को अनुमति प्रदान की गई है।
7. पूर्व में स्वीकृत किये गये सहायक अनुदान का भी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करावें।

Verified

Comptroller  
R.V.S.K.V., Gwalior

Dean

CoA, Sehore

Dean

CoA, Mandasaur

Dean

CoA, Gwalior

Dean

CoA, Indore

Dean

CoA, Khandwa